

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय-2
की धारा-4 (1) ख के अन्तर्गत मैनुअल
वर्ष 2014-15



उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड
पशुधन भवन, द्वितीय तल (बांयी विंग), मोथरोवाला रोड,
पो0ऑ0 मोथरोवाला, देहरादून-248001
टेलीफैक्स : (0135) 2532619

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय-2
की धारा-4 (1) ख के अन्तर्गत मैनुअल

वर्ष 2014-15

(मैनुअल संख्या 1 से 17)

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड
देहरादून

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय-2 की धारा-4 (1)
ख के अन्तर्गत मैनुअल संख्या 1 से 17 की अनुक्रमणिका

मैनुअल संख्या	विषय	पृष्ठ सं०
	प्रस्तावना	1-3
मैनुअल-1	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य	4-9
मैनुअल-2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य	10-20
मैनुअल-3	कृत्यों के निवर्हन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका एवं अभिलेख	21-25
मैनुअल-4	नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जनप्रतिनिधियों से परामर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण	26-27
मैनुअल-5	लोक प्राधिकारों के पास या उसके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों (Categories) के अनुसार विवरण	28-29
मैनुअल-6	बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण	30-33
मैनुअल-7	लोक सूचना अधिकारियों के नाम ,पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां	34-36
मैनुअल-8	निर्णय लेने की प्रक्रिया	37-39
मैनुअल-9	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	40-41
मैनुअल-10	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति	42-43
मैनुअल-11	प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	44-45

मैनुअल-12	अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति (क) स्वरोजगारी ए.आई. कर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप (ख) विभिन्न कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की सूची (ग) नैसर्गिक अभिजनन हेतु वितरित सांडों की जनपद वार सूची (वर्ष 2014-15)	46-51 52 53-57 58-62
मैनुअल-13	रियायतों अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण	63-64
मैनुअल-14	कृत्यों के निवर्हन के लिये स्थापित मानक/नियम	65-66
मैनुअल-15	इलैक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनायें	67-68
मैनुअल-16	सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण	69-70
मैनुअल-17	अन्य उपयोगी जानकारियां	71-75

प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

भारत सरकार द्वारा निश्चय किया गया कि सूचनाओं पर बृहत्तर तथा अधिक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह अपेक्षित है कि सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम 2002 को अधिक प्रगतिशील, सहभागी एवं अर्थपूर्ण होना चाहिए। इस विषय पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने संदर्भित अधिनियम को अधिक सहज/सरल करने तथा सूचना तक बृहत्तर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कुछ मुख्य परिवर्तन समावेशित करने का सुझाव दिया। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद तथा अन्य द्वारा प्रदत्त सुझावों के परीक्षणोंपरांत भारत सरकार ने इस कानून में कई परिवर्तन करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद तथा अन्य द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम 2002 को निरस्त कर उसके स्थान पर दूसरा अधिनियम लाया जाय, जो भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद के अन्तर्गत मान्य सूचना के अधिकार को एक प्रभावी ढांचा प्रदान करें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, संसद में सूचना अधिकार बिल प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार राज्यों में भी सूचना के अधिकार सम्बन्धी अधिनियम बनाये जाने की प्रक्रिया चलायी गयी। इसके लिए यू.एल.डी.बी. द्वारा भी प्रस्तुत मैनुअल तैयार किया गया है।

1.2 मैनुअल का उद्देश्य

- यू.एल.डी.बी. की सूचनाओं पर पशुपालकों/जनसामान्य की बृहत्तर तथा अधिक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना, तथा उसे अधिक प्रगतिशील, प्रतिभागी, सहभागी, अर्थपूर्ण और पारदर्शी बनाना।
- उपरोक्त के साथ-साथ संस्था में अपील तंत्र की स्थापना, जो जन सूचना अधिकारियों के निर्णय को पुनरीक्षित करने के लिए अन्वेषण शक्ति धारित हो।
- सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम के अनुसार सूचनायें उपलब्ध करने में असफल रहने के लिए दण्डात्मक प्राविधान, अधिकतम प्रकटीकरण एवं निम्नतम छूट को सुनिश्चित करने के प्राविधान की व्यवस्था करना।
- संवैधानिक प्राविधानों के लिए संगत, तथा सूचना तक पहुंच एवं प्राधिकारियों द्वारा प्रकटीकरण के लिए प्रभावी तंत्र इत्यादि विकसित करना।
- मान्य सूचना के अधिकार को कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी ढांचा उपलब्ध कराना।

1.3 मैनुअल किन व्यक्तियों/संस्थानों/संगठनों के लिए उपयोगी है।

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त पशुपालकों, पशुधन से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं/संगठनों/संस्थानों, के साथ-साथ इस पशुधन से सम्बन्धित कार्य में लगे व्यक्तियों, विभिन्न पैरावेट्स, सांडपालकों तथा पशुधन से सम्बन्धित अनुसंधान एवं विकास कार्यों में लगे लोगों के लिए यह मैनुअल उपयोगी होगा।

1.4 मैनुअल का प्रारूप

यह हस्त पुस्तिका 17 अध्यायों में बंटी हुई है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के मैनुअलों के माध्यम से उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड तथा उसके विभिन्न कार्यकलापों, योजनाओं, इकाइयों, आदि की विस्तृत जानकारी इस हस्त पुस्तिका में उपलब्ध है।

1.5 परिभाषायें :

“अधिनियम ” का तात्पर्य सूचना, स्वातंत्र्य अधिनियम 2002 तथा समय-समय पर यथा संशोधित उक्त अधिनियम से है।

“नियमावली ” का तात्पर्य सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रभावी तथा समय-समय पर यथा संशोधित नियमावली से है।

“मैनुअल” का तात्पर्य उपरोक्त अधिनियमों एवं नियमों के क्रम में यू.एल.डी.बी. की सूचनाओं के सम्बन्ध में तैयार किये गए विभिन्न मैनुअलों से है।

“केन्द्र सरकार” का तात्पर्य भारत सरकार से है।

“राज्य/प्रदेश सरकार” का तात्पर्य उत्तराखण्ड सरकार से है।

“यू.एल.डी.बी.(बोर्ड)” का तात्पर्य उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड (उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद) से है।

“ए0पी0आई0ओ” का तात्पर्य सहायक लोक सूचना अधिकारी से है।

“पी0आई0ओ” का तात्पर्य लोक सूचना अधिकारी से है।

“डी0ए0ए0” का तात्पर्य विभागीय अपील अधिकारी से है।

“निर्देशिका” का तात्पर्य सूचना के अधिकार के सम्बन्ध में जारी/समय-समय पर जारी होने वाली निर्देशिका से है।

“विभाग” का तात्पर्य पशुपालन विभाग से है।

“प्रक्षेत्र/फार्म” का तात्पर्य उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा संचालित फार्म/विभागीय फार्मों से है।

“इकाई” का तात्पर्य राज्य में कार्यरत यू.एल.डी.बी. की विभिन्न इकाइयों से है।

“ए.आई” का तात्पर्य कृत्रिम गर्भाधान से है।

“एन.बी.” का तात्पर्य नैसर्गिक अभिजनन से है।

“ई.टी.” का तात्पर्य भ्रूण प्रत्यारोपण से है।

“पी.टी.पी.” का तात्पर्य प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम से है।

“अभिलेख.” का तात्पर्य सूचना के अधिकार के अन्तर्गत तैयार/रखे जाने वाले विभिन्न अभिलेखों से है।

1.6 मैनुअल में समायोजित विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिए संपर्क व्यक्ति।

राज्य स्तर पर	— उप प्रबन्धक (एम.आई.एस.), यू.एल.डी.बी. मुख्यालय।
जनपद स्तर पर	— सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/जनपदीय प्रबन्धक, यू.एल.डी.बी.।
ए.आई. केन्द्र स्तर पर	— सम्बन्धित राजकीय पशुचिकित्साधिकारी/कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र अधिकारी

1.7 मैनुअल में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क।

शासन द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार एवं शासन से निर्धारित शुल्क अदा करने के उपरांत अतिरिक्त जानकारियां उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

मैनुअल 1

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

लोक प्राधिकरण के उद्देश्य

उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद के गठन का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के पशुधन (गाय एवं भैंस) के प्रजनन एवं पशु-प्रबन्धन को नवीनतम तकनीकों द्वारा प्रोत्साहित कर बढ़ावा देना एवं इससे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों को स्वावलम्बी बनाकर पशुधन उत्पादों में वृद्धि करना है :

- पशुप्रजनन एवं पशुधन विकास से सम्बन्धित संस्थागत ढांचा में सुधार, उनके उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं तत्सम्बन्धी नई संस्थाओं की स्थापना कर ऐसे निवेश से लाभ प्राप्त करने में राज्य सरकार को सलाह एवं सहायता करना।
- राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर गाय एवं भैंसों हेतु राज्य की पशु प्रजनन नीति के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करके पशु उत्पादन एवं गुणवत्ता में निरन्तर वृद्धि करना।
- गैर सरकारी संस्थाओं (सहकारी समितियों, गोशालाओं, ट्रस्टों एवं स्वयमसेवी संस्थाओं) आदि को संगठित/प्रोत्साहित करके गुणात्मक प्रजनन सामग्री का उत्पादन/उपार्जन करना एवं लाभार्थी/कृषकों के द्वार पर ही पशुप्रजनन सेवाएं उपलब्ध कराना।
- अतिहिमीकृत वीर्य एवं तरल नत्रजन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं सुचारु रूप से सुव्यवस्थित कर निरन्तर आपूर्ति करना।
- गाय एवं भैंसों को आधुनिक तकनीकों के अनुसार रख-रखाव व पालन-पोषण करके देशी एवं संकर नस्ल के उच्च प्रजाति/गुणवत्ता के सांड नैसर्गिक अभिजनन हेतु तैयार करना।
- राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं को उच्चकृत/आधुनिकीकृत करके निरन्तर बेहतर प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित करके लाभार्थियों एवं कार्मिकों की दक्षता में आमूल-चूल सुधार करना।
- इस तरह संस्था का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में पशुधन (गाय एवं भैंस) के प्रजनन एवं प्रबन्धन को नवीनतम तकनीक द्वारा बढ़ावा देना एवं इससे सम्बन्धित गतिविधियों को स्वावलम्बी तथा रोजगारपरक बनाकर पशुधन उत्पादों में वृद्धि करना है।
- इसके साथ-साथ उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य में चारा उत्पादन के कार्य को बढ़ावा देने सम्बन्धी कार्य भी वित्तीय वर्ष 2004-05 में यू.एल.डी.बी. को सौंपा गया है।

2.2 लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन

मिशन : राज्य के पशुधन (गाय एवं भैंस) के अनुवांशिक गुणों में वृद्धि कर उनकी उत्पादकता बढ़ाने हेतु तत्सम्बन्धी समस्त गतिविधियों को अंगीकृत, समावेशित, एकीकृत एवं उन्नयन करके उनका संगठन एवं प्रबन्धन करना।

विजन : राज्य की समस्त प्रजनन योग्य गाय एवं भैंसों को संगठित पशु प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुपालन के द्वारा गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करवाकर उनको इस कार्यक्रम से शत-प्रतिशत आच्छादित करना।

2.3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग

उत्तराखण्ड राज्य के विषम भौगोलिक परिवेश में पशुपालन को स्वरोजगार एवं आय का एक प्रमुख संसाधन लक्षित करते हुए राज्य में पशुपालन पर आधारित व्यवसाय को सुदृढ़ एवं सुनियोजित करके स्वरोजगार की असीम सम्भावनाओं को प्राप्त करने हेतु तथा राज्य के कुल सकल उत्पाद में पशुपालन की 9.82% भागीदारी होने के बावजूद भी राज्य में उपलब्ध अवर्गीकृत गायों/भैंसों की नस्ल में अपेक्षित सुधार इतने वर्षों के बाद भी परिलक्षित न हो सकने के कारण वर्ष 2001-2002 में राज्य में पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम एवं पशु प्रजनन सुविधाओं को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित करने हेतु भारत सरकार के **राष्ट्रीय गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन परियोजना** के दिशा-निर्देशों के अनुसार उत्तरांचल शासन ने **उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद** (उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड) के गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। तदनुसार यू.एल.डी.बी. का गठन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन नम्बर 343/2001-02 दिनांक 27 जून 2001 द्वारा किया गया।

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड (यू.एल.डी.बी.) का संक्षिप्त परिचय :

- स्थापना – वर्ष 2001-02
- कार्य प्रारम्भ – जुलाई 2002
- मुख्यालय – पशुधन भवन, द्वितीय तल (बांयी विंग), मोथरोवाला रोड, पो0अ0 मोथरोवाला, देहरादून।
- पंजीकरण – सं0 343, दिनांक 27.06.01 (सोसाईटीज अधिनियम 1860 के अन्तर्गत)
- प्रायोजक – भारत सरकार की राष्ट्रीय गौवंशीय एवं महिषवंशीय परियोजना।

2.4 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड (उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद) द्वारा राज्य में पशु प्रजनन की सभी विधाओं—यथा नैसर्गिक अभिजनन, कृत्रिम गर्भाधान तथा भ्रूण प्रत्यारोपण के कार्यों के सुगमीकरण (Facillitation) हेतु एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्य सम्पादन करना तथा राज्य में चारा घासों के संवर्द्धन, उत्पादन, विकास, शोध एवं विस्तार सम्बन्धी कार्यों/योजनाओं का संचालन करना।

2.5 लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य

- अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम
- इनपुट वितरण कार्यक्रम
- नैसर्गिक अभिजनन कार्यक्रम (दारिन्दा पद्धति पर)
- प्रशिक्षण कार्यक्रम (कृत्रिम गर्भाधान)
- भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम
- फील्ड परफारमेन्स रिकार्डिंग कार्यक्रम
- चारा विकास कार्यक्रम
- पशुधन बीमा योजना
- सूचना प्रबन्धन पद्धति (एम.आई.एस.)
- प्रोजनी टेस्टिंग प्रोग्राम

2.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण

- **अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन कार्यक्रम** – उच्च गुणवत्ता के अतिहिमीकृत वीर्य का उत्पादन करके कृत्रिम गर्भाधान इकाइयों को नियमित रूप से निश्चित अंतराल पर वितरित करना।
- **इनपुट वितरण कार्यक्रम** – पशुपालन विभाग, प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं एवं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ आदि के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों/पैरावेटस/इकाइयों को अतिहिमीकृत वीर्य, तरल नत्रजन एवं अन्य इनपुटस आदि की ए.आई. केन्द्रों पर नियमित आपूर्ति करना।
- **नैसर्गिक अभिजनन कार्यक्रम** – राज्य के दुर्गम एवं दुरूह पर्वतीय क्षेत्रों में, जहां ए.आई.संभव नहीं है, में पशुपालकों को दारिन्दा पद्धति पर उच्च गुणवत्ता वाले गाय एवं भैंसा साडों की आपूर्ति करना।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम** – पशुपालन व्यवसाय से जुड़े कृषकों, कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं, सरकारी व गैर सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों आदि को उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड के प्रशिक्षण केन्द्र अथवा अन्य ख्याति प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों से नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण करवाना।
- **भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम** – पशु प्रजनन फार्म कालसी में उपलब्ध रेड सिंधी नस्ल की गायों का भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के माध्यम से संरक्षण एवं संवर्द्धन करना।

- **फील्ड परफारमेन्स रिकार्डिंग कार्यक्रम** – पशुपालकों के उत्तम दुधारू पशुओं (गाय एवं भैंस) की सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन योजना के अनुसार मिल्क रिकार्डिंग करना जिससे उनके क्रय – विक्रय में सुविधा प्रदान करके उन्हें लाभान्वित किया जा सके और उन्हें अपने पशु का समुचित मूल्य मिल सके। इसके अतिरिक्त उत्तम दुधारू पशुओं (गाय एवं भैंसों) की पहचान करना तथा उनके जर्मप्लाजम का विस्तार (Propagation) करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।
- **सूचना प्रबन्धन पद्धति (एम.आई.एस.)**– प्रदेश के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को वितरित इनपुट्स एवं उनके द्वारा किये गये कार्यों सम्बन्धी आंकणों का प्रबन्धन, एम.आई.एस. साफ्टवेयर में टंकण तथा रिपोर्ट प्राप्त करना, विश्लेषण करना तथा रिपोर्टों को प्रेषित करना।
- **प्रोजनी टेस्टिंग प्रोग्राम**–इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य एवं देश में दूध की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु अगली पीढ़ी में सत्त उन्नत आनुवांशिक गौवंशीय संतति उत्पन्न करने हेतु उच्च आनुवांशिक गुणवत्ता के सांडों का उत्पादन करना है।

2.7 चारा विकास कार्यक्रम –


- भूसा तथा पुआल को पौष्टिक, सुपाच्य तथा परिवहन योग्य बनाने के लिये काम्पैक्ट फीड सप्लीमेन्ट ब्लाक का निर्माण कर वितरित करना।
- 2.5 कि.ग्रा. वजन की पशु चाटन (Urea- Molasses Brick) का निर्माण करना।
- प्रदेश में चारे की कमी को दूर करने के लिए राज्य में दो फाडर चारा बैंक—पशु प्रजनन फार्म कालसी, देहरादून एवं पशु आहार निर्माणशाला, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर तथा पर्वतीय क्षेत्र में उप फाडर चारा बैंकों की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। दोनों फाडर चारा बैंकों द्वारा काम्पैक्ट फीड ब्लाक का निर्माण किया जा रहा है।

3 पशुधन बीमा योजना


- भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से उत्तराखण्ड में पशुधन बीमा योजना का संचालन उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। प्रारम्भ में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में यह योजना राज्य के हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर जनपदों में संचालित थी। वर्तमान में यह योजना जनपद— देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, चमोली एवं पिथौरागढ़ में संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य पशुओं की दुर्घटना, मृत्यु अथवा अन्य अप्रत्याशित क्षति होने पर पशुपालकों को उससे होने वाली आर्थिक क्षति से बचाना एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप पशुपालकों की आय में वृद्धि करना जिससे उनका सामाजिक एवं आर्थिक स्तर समुन्नत हो। वर्ष 2015–16 से यह योजना पूरे राज्य में संचालित की जायेगी।

3.3 लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा (जहां लागू हो)।

क. यू.एल.डी.बी. का राज्य स्तरीय संगठनात्मक ढांचा :



ख. जनपद स्तरीय ढांचा :



3.4 लोक प्राधिकरण की कार्य दक्षता बढाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं।

- उत्तम पशु प्रबन्धन
- कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को अपने पशुओं का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना।
- पशु के गर्मी में आने का सही समय बताना।

3.5 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था।

- पशुपालक गोष्ठियों के माध्यम से जागरूकता/प्रशिक्षण देकर।
- पशुपालकों की समस्याओं का कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं द्वारा शीघ्र निवारण करके।

3.6 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था।

- ग्राम/न्याय पंचायत स्तर पर कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता द्वारा।
- विकासखण्ड/पशुचिकित्सालय स्तर पर सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी द्वारा।
- जनपद स्तर पर मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/जनपद प्रबन्धक, यू.एल.डी.बी. द्वारा।
- राज्य स्तर पर मुख्य अधिशायसी एवं उनके सहकर्मी अधिकारियों द्वारा।

3.7 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते (कृपया पतों का जनपदवार वर्गीकरण करें)।

राज्य स्तरीय

यू.एल.डी.बी. मुख्यालय	—	मुख्य अधिशायसी अधिकारी, पशुधन भवन, द्वितीय तल (बांयी विंग), मोथरोवाला रोड, पो0आं0 मोथरोवाला, देहरादून—248001
यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र	—	प्राचार्य, यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र, पशुलोक—ऋषिकेश (देहरादून)
यू.एल.डी.बी. डी.एफ.एस. केन्द्र	—	अपर प्रबन्धक (डी.एफ.एस.) अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र,

यू.एल.डी.बी. चारा बैंक	—	उप प्रबन्धक (पशुपोषण), लक्कड़घाट मार्ग, श्यामपुर-ऋषिकेश (देहरादून)
पशु प्रजनन फार्म कालसी	—	अपर प्रबन्धक, पशु प्रजनन फार्म, कालसी, जनपद-देहरादून।
चारा बैंक कालसी	—	अपर प्रबन्धक, चारा बैंक, कालसी, जनपद-देहरादून।
यू.एल.डी.बी. भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र	—	उप प्रबन्धक (ई.टी), भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र, पशु प्रजनन फार्म कालसी (देहरादून)
यू.एल.डी.बी. सीमेन बैंक	—	उप प्रबन्धक, यू.एल.डी.बी. सीमेन बैंक, लालकुंआ बरेली मार्ग लालकुंआ (नैनीताल)

जनपद स्तरीय

राज्य के सभी जनपद	—	सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/जनपदीय प्रबन्धक, यू.एल.डी.बी., देहरादून/हरिद्वार/टिहरी गढवाल/उत्तरकाशी/पौड़ी/रूद्रप्रयाग/चमोली/ऊधमसिंहनगर/नैनीताल/अल्मोड़ा/बागेश्वर/पिथौरागढ़/चम्पावत
-------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.8 कार्यालय के खुलने का समय : प्रातः 10:00 बजे

कार्यालय बन्द होने का समय : अपरान्ह 5:00 बजे

मैनुअल 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

3.1 अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य का विवरण।

पद का नाम	मुख्य अधिशासी अधिकारी		
शक्तियां	प्रशासकीय	यू.एल.डी.बी. के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ।	
		संस्था के सदस्य/सचिव	
		बोर्ड के विभागाध्यक्ष एवं स्वनियंत्रण अधिकारी	
		बोर्ड के समस्त स्टाफ के प्रशासनिक नियंत्रक	
कर्तव्य	अन्य	राज्य में पशुप्रजनन कार्य में लगी समस्त संस्थाओं/विभाग/ एजेन्सियों के नियंत्रक एवं मार्ग दर्शक।	
		बोर्ड के विभागाध्यक्ष एवं बजट नियंत्रक के रूप में वित्तीय स्वीकृताधिकारी	
		बोर्ड के अधिष्ठान के आहरण एवं वितरण अधिकारी	
कोई नहीं।			
पद का नाम	अपर प्रबन्धक (ए.आई.), यू.एल.डी.बी. मुख्यालय		
शक्तियां	प्रशासकीय	यू.एल.डी.बी. द्वारा संचालित कृत्रिम गर्भाधान एवं नैसर्गिक अभिजनन कार्यक्रमों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कार्य सुनिश्चित कराना। यू.एल.डी.बी. की विभिन्न कमेटियों की अध्यक्षता करना। यू.एल.डी.बी. की विभिन्न इकाइयों में अनुपयोगी सामान को निष्प्रयोज्य घोषित करने हेतु गठित कमेटी, श्यामपुर से सम्बद्ध चारा प्रक्षेत्र पर उत्पादित हो रहे चारे के विक्रय/ निस्तारण हेतु गठित कमेटी तथा अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, के अनुपयोगी महिषवंशीय सांडों की नीलामी हेतु गठित कमेटी की अध्यक्षता।	
		वित्तीय	कोई नहीं
		अन्य	कोई नहीं
पद का नाम	उप प्रबन्धक, नैसर्गिक अभिजनन/पशुधन बीमा यू.एल.डी.बी. मुख्यालय		
शक्तियां	प्रशासकीय	नैसर्गिक अभिजनन सांडों के उपार्जन तथा वितरण का समुचित प्रबन्धन, फील्ड में वितरित सांडों की परफॉर्मेन्स का अनुश्रवण एवं अनुसरण। सांड क्रय एवं प्रबन्धन के सम्बन्ध में बीमा कम्पनी से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य संपादन। पशुधन बीमा संबंधी समस्त कार्यों का सम्पादन एवं प्रबंधन।	
		वित्तीय	कोई नहीं
		अन्य	कोई नहीं

कर्तव्य		<ul style="list-style-type: none"> • कृत्रिम गर्भाधान से अनाच्छादित क्षेत्रों का विवरण प्राप्त कर नैसर्गिक अभिजनन हेतु सम्बन्धित विभागों, प्रगतिशील पशुपालकों तथा संस्थाओं से गाय/भैंसा सांडों की मांग प्राप्त करने सम्बन्धी पत्राचार, आपूर्ति, बीमा राशन आदि की समय पर व्यवस्था करना। • वितरित सांडों के स्वास्थ्य एवं कार्य का अनुश्रवण करना। • वितरित सांडों के कार्य की मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। • उत्तराखण्ड पशु प्रजनन नीति 2005 के अनुसार सांडों का वितरण एवं रोटेशनवार उनकी शिपिंग का कार्य। • राज्य के चयनित जनपदों में पशुधन बीमा योजना को समुचित रूप से कार्यान्वित करना एवं तत्संबंधी मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। • मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा दिये गए निर्देशों का पूर्ण रूप एवं समय से पालन करना।
पद का नाम	उप प्रबन्धक, (पशुचिकित्साधिकारी गेड-1), एम.आई.एस. /उपार्जन, यू.एल.डी.बी. मुख्यालय	
शक्तियां	प्रशासकीय	<p>यू.एल.डी.बी. मुख्यालय एवं इकाईयों से सम्बन्धित समस्त सामान, उपकरण, संयन्त्र एवं अन्य विविध सामग्री का नियमानुसार उपार्जन। कच्चा माल, बाग-बहार, पशुओं हेतु क्य होने वाले भूसै, तरल नत्रजन परिवहन व्यवस्था प्रशिक्षण केन्द्रों के कैटरिंग आदि कार्यो एवं अन्य सामग्री की अधिप्राप्ति हेतु समय से निविदाएं आमंत्रित कर, निविदा प्रक्रिया सम्पादित करवाना तथा उन्हें अन्तिम रूप देकर कयादेश जारी कराना।</p> <p>यू.एल.डी.बी. मैनेजमेन्ट इनफोर्मेशन सिस्टम एवं इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी सम्बन्धी समस्त कार्यो का संपादन, संचालन, अनुश्रवण एवं अनुसरण।</p> <p>राज्य में पशु प्रजनन सम्बन्धी समस्त सूचनाओं का संग्रहण, संकलन एवं सूचनाओं का आदान-प्रदान तथा सम्प्रेषण।</p> <p>यू.एल.डी.बी. के प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्त कार्यो का निर्वहन एवं संपादन।</p>
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		यू.एल.डी.बी. के एम.आई.एस. एवं आई.टी. से सम्बन्धित समस्त कार्यो का समय से सम्पादन।
पद का नाम	पशुचिकित्साधिकारी गेड-1 /परियोजना समन्वयक (PT) NDP-I	
शक्तियां	प्रशासकीय	ऑपरेशन मैनुअल के आधार पर प्रोजेक्ट का संचालन करना, तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय कार्यो का संचालन एवं मैनेजमेन्ट कमेटी के निर्देशानुसार सीमेन स्टेशन को सांडों का वितरण करना आदि।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		प्रोजेक्ट से सम्बन्धित समस्त कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन।

पद का नाम	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1 / क्षेत्रीय समन्वयक, (PT) NDP-I	
शक्तियां	प्रशासकीय	दिये गये जनपदों (देहरादून/हरिद्वार) में दिये गये समय की अवधि में सब प्रोजेक्ट के लक्ष्यों को प्राप्त करना एवं प्रोजेक्ट के समस्त कार्यों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं ए0आई कार्यकर्ताओं की समस्याओं को Grievances redressal Officer तक पहुंचाना।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		प्रोजेक्ट से सम्बन्धित समस्त कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन।
पद का नाम	लेखाकार, यू.एल.डी.बी. मुख्यालय	
शक्तियां	प्रशासकीय	बजट की स्थिति देखना, व्यय विवरण तैयार करना, बैलेन्सशीट / वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर समय से प्रस्तुतिकरण, आडिट सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पादन, आयकर/विक्रय/व्यापार कर एवं अन्य करों से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यों का निष्पादन एवं तत्सम्बन्धी विभिन्न फार्मों की प्राप्ति एवं जारी कराना। विभिन्न योजनाओं में प्राप्त धनराशियों/अग्रिम धनराशियों/बजट आदि का लेखा रख-रखाव, समयोजन तथा सम्प्रेषण। बैंकों से खाता-मिलान एवं तत्सम्बन्धी समस्त कार्य। उपयोग विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन व अन्य को भिजवाना। विभिन्न फार्मों स्थानों से प्राप्त एफ.डी.आर./सी.डी.आर./चेक/बैंक ड्राफ्ट आदि का सम्पूर्ण लेखा-जोखा रखना आदि। चेक तैयार कर जारी कराना।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		लेखा से सम्बन्धित समस्त कार्यों का संचालन, संपादन, अनुश्रवण एवं अनुसरण, जिससे बोर्ड के लेखा कार्यों का संपादन सहजता से होता रहे।
पद का नाम	स्थापना लिपिक/वरिष्ठ सहायक,/स्टोर कीपर/नाजिर यू.एल.डी.बी. मुख्यालय	
शक्तियां	प्रशासकीय	बोर्ड के स्थापना से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सम्पादन एवं निष्पादन, एवं तत्सम्बन्धी कार्यों को समय से संपादित कराना और तत्सम्बन्धी पत्रावलियों का समुचित रख-रखाव एवं प्रबन्धन। पत्र प्राप्ति, पत्र प्रेषण एवं डाक तैयार कर उसे भेजने/भिजवाने की समुचित व्यवस्था एवं प्रबन्धन तथा स्टोर से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सम्पादन, संचालन एवं स्टोर का रख-रखाव, अंकन/प्रविष्टि तथा निर्गमन आदि से सम्बन्धित समस्त कार्यों का निष्पादन। अनुपयोगी/निष्प्रयोज्य सामानों, उपकरणों, संयंत्रों आदि का निस्तारण कराना।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		स्थापना/स्टोर से सम्बन्धित समस्त प्रशासकीय कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन।

पद का नाम	प्राचार्य/संयुक्त निदेशक, यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र, पशुलोक-ऋषिकेश	
शक्तियां	प्रशासकीय	प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने सम्बन्धी कार्य, स्टोर प्रबन्धन का रख-रखाव, मेस प्रबन्धन, प्रशिक्षार्थियों का फील्ड भ्रमण, प्रशिक्षण वाहन का प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी उपकरणों का रख-रखाव, प्रशिक्षण भवनों का रख-रखाव, प्रमाण पत्र निर्माण/वितरण, प्रशिक्षार्थियों को आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, प्रशिक्षण फीडबैक प्राप्त करना, प्रशिक्षण केन्द्र परिसर तथा अतिथि कक्ष का रख-रखाव, प्रशिक्षण केन्द्र के लॉन आदि का रख-रखाव, पुस्तकालय प्रबन्धन, कॉमन रूम प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण सामग्री वितरण आदि।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		प्रशिक्षण केन्द्र के सफल संचालन हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन, जिससे प्रशिक्षण केन्द्र सफलतापूर्वक कार्य कर सके।
पद का नाम	अपर प्रबन्धक/पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1 डी.एफ.एस.,श्यामपुर (ऋषिकेश)	
शक्तियां	प्रशासकीय	डी.एफ.एस. श्यामपुर के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का नियंत्रण एवं उनसे कार्य सुनिश्चित कराना।
	वित्तीय	कोई नहीं।
	अन्य	कोई नहीं।
कर्तव्य		डी.एफ.एस. श्यामपुर के दैनिक कार्यों का सम्पादन। उत्तराखण्ड पशु प्रजनन नीति 2005 के अनुसार कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर सांडों की नस्लवार/ब्लड प्रतिशतवार अतिहिमीकृत वीर्य का उत्पादन, तरल नत्रजन का उपार्जन तथा ए.आई.केन्द्रों को इनपुट्स उपलब्ध कराने की व्यवस्था एवं इस हेतु समय-समय पर अपेक्षित दिशा निर्देश देना देख-रेख तथा उनका अनुश्रवण एवं अनुसरण करना।
पद का नाम	उप प्रबन्धक/ पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1 इनपुट वितरण, श्यामपुर-ऋषिकेश	
शक्तियां	प्रशासकीय	सेन्ट्रल सीमेन लैब श्यामपुर का संचालन, राज्य में ए.आई. सम्बन्धी इनपुट्स के प्रबन्धन, वितरण सम्बन्धी समस्त कार्यों का संपादन, संचालन, अनुश्रवण तथा अनुसरण, जिससे तरल नत्रजन आदि की निरन्तर अन्वरत सप्लाई निश्चित अंतराल पर होती रहे। चारा बैंक, का संचालन, कच्चा माल प्रबन्धन, संयंत्र संचालन एवं निर्माण प्रक्रिया संपादन तथा डी.एफ.एस., श्यामपुर में सांडों हेतु चारा उत्पादन का सम्पूर्ण देख-रेख और श्यामपुर के सेन्टर ऑफ चारा एक्सीलेन्स से सम्बन्धित समस्त कार्य संपादन। इसके अतिरिक्त अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, श्यामपुर परिसर में स्थापित समस्त आवासीय/अनावासीय भवनों/परिसम्पत्तियों का रख-रखाव/मैन्टेनेंस का कार्य सम्पादित करना।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		राज्य के सभी ए.आई.केन्द्रों, पैरावेट्स आदि को उत्तराखण्ड पशु प्रजनन नीति 2005 के अनुसार अतिहिमीकृत वीर्य, तरल नत्रजन एवं तत्सम्बन्धी उपकरणों स्टेशनरी एवं अन्य इनपुट्स को समय से वितरण तथा चारा बैंक तथा डी.एफ.एस.,श्यामपुर के चारा क्षेत्र परिसर में चारा उत्पादन सम्बन्धी कार्यकलापों का सफल

पद का नाम	उप प्रबन्धक / पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1 (डी.एफ.एस.प्रयोगशाला), श्यामपुर-ऋषिकेश	
शक्तियां	प्रशासकीय	ISO 9001 : 2008 एवं HACCP (Hazard Analysis at Critical Point)के मानकों एवं दिशा निर्देशानुसार प्रयोगशाला का प्रबन्धन, रख-रखाव एवं MSP मानक के अनुसार अतिहिमीकृत वीर्य का उत्पादन कर वितरण हेतु उपलब्ध कराना।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		ISO 9001 : 2000 एवं MSP मानकों के अनुसार डी.एफ.एस. का कार्य संचालन।
पद का नाम	पशुधन प्रसार (इनपुट वितरण) अधिकारी, डी.एफ.एस., श्यामपुर	
शक्तियां	प्रशासकीय	सीमेन बैंक, श्यामपुर से गढ़वाल मण्डल में अतिहिमीकृत वीर्य, तरल नत्रजन एवं अन्य ए.आई.इनपुट्स के वितरण का निर्धारित चक्रों के अनुसार कार्य सम्पादित कराना।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		गढ़वाल मण्डल के सभी ए.आई.केन्द्रों, पैरावेट्स आदि को अतिहिमीकृत वीर्य, तरल नत्रजन एवं तत्सम्बन्धी उपकरणों स्टेशनरी एवं अन्य इनपुट्स को समय से वितरित करना।
पद का नाम	पशुधन प्रसार (प्रयोगशाला) अधिकारी, डी.एफ.एस., श्यामपुर	
शक्तियां	प्रशासकीय	श्यामपुर स्थित प्रयोगशाला में सीमेन कलेक्शन का कार्य तथा उत्पादित अतिहिमीकृत वीर्य के वितरण / विपणन की समुचित व्यवस्था कराना।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		श्यामपुर स्थित प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यों का निर्वहन।
पद का नाम	पशुधन प्रसार (पशु प्रबन्धन) अधिकारी, डी.एफ.एस., श्यामपुर	
शक्तियां	प्रशासकीय	अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र श्यामपुर में कार्यरत सांडों का समुचित प्रबन्धन / रख-रखाव सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र श्यामपुर में कार्यरत सांडों का सम्बन्धी कार्यों का निर्वहन।
पद का नाम	ट्रैक्टर / वाहन चालक, डी.एफ.एस. श्यामपुर	
शक्तियां	प्रशासकीय	अपने चार्ज के सम्बन्धित वाहन का समुचित रख-रखाव, चालन / संचालन तथा आवश्यकतानुसार यथोचित कार्यों का सम्पादन।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		सम्बन्धित वाहन का चालन / संचालन एवं उसके रख-रखाव एवं उससे सम्पादित होने वाले समस्त कार्यों का सम्पादन एवं निष्पादन।

पद का नाम	अपर प्रबन्धक/परियोजना निदेशक कालसी, पशुप्रजनन फार्म, कालसी	
शक्तियां	प्रशासकीय	<p>पशुप्रजनन फार्म कालसी का सामान्य प्रशासन, देख-रेख एवं नियंत्रण, राजकीय स्टाफ (समूह ग एवं घ) के अधिष्ठान सम्बन्धी, समस्त कार्य सम्पादन।</p> <p>फार्म के कृषि/डेरी अनुभाग के सम्पूर्ण कार्यों का सम्पादन एवं चारा उत्पादन कार्यक्रम निर्माण एवं उसे कार्यरूप देना, डेरी अनुभाग तक चारा पहुंचवाना, बाग-बहार का समुचित रख-रखाव, डेरी अनुभाग से खेत तक खाद एवं अन्य सामान का ढुलान कराना एवं खेतों में डलवाना/मिलवाना। कृषि अनुभाग सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का रख-रखाव, ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों/उपकरणों का सम्यक रख-रखाव।</p> <p>2.पशु प्रजनन फार्म, कालसी स्थित चारा बैंक के प्रभारी के रूप में उसके कार्यान्वयन, संचालन, देखरेख एवं प्लान्ट ऑपरेशन्स आदि का पूर्ण उत्तरदायित्व। निर्मित/उत्पादित हो रहे कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक के वितरण/विपणन की समुचित व्यवस्था कराना। इसके अतिरिक्त पशु प्रजनन फार्म कालसी परिसर में स्थापित समस्त आवासीय / अनावासीय भवनों/परिसम्पत्तियों का रख-रखाव/मैन्टेनेंस का कार्य सम्पादित करना।</p>
	वित्तीय	पशु प्रजनन फार्म के राजकीय बजट का नियमानुसार व्यय करना तथा अधिष्ठान के वेतन एवं भत्ते आदि का संवितरण, अधीनस्थ कर्मचारियों को तीन माह के वेतन के बराबर तक की धनराशि जी0पी0एफ0 लेखा से स्वीकृत करने का अधिकार।
	अन्य	01 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निस्तारण करने का अधिकार
कर्तव्य		<p>प्रक्षेत्र के सभी कार्यों के संचालन/संपादन सम्बन्धी दायित्व, डेयरी तथा कृषि अनुभागों के कार्यकलापों का समुचित प्रबन्धन, अधीनस्थ स्टाफ से कार्य लेना, उनके कार्यों का अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा अनुसरण। निष्प्रयोज्य सामानों का निस्तारण कराना एवं अनार्थिक पशुओं के विचयन (Culling) की कार्यवाही।</p> <p>फार्म के कृषि अनुभाग के सम्पूर्ण कार्यकलापों का समयानुसार कार्यान्वयन, संचालन एवं निष्पादन।</p>
पद का नाम	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1, पशु प्रजनन फार्म कालसी	
शक्तियां	प्रशासकीय	पशु प्रजनन फार्म कालसी स्थित भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला का संचालन एवं ई.टी. से सम्बन्धित प्रशिक्षण सम्पादित करवाना तथा नेशनल डेरी प्लान के अन्तर्गत संचालित परियोजना के समस्त कार्यों का क्रियान्वयन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निरीक्षण। इसके अतिरिक्त उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये अन्य कार्यों का सम्पादन करना।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		प्रोजेक्ट/ई.टी. से सम्बन्धित समस्त कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन।
पद का नाम	उप प्रबन्धक पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2 (प्रशिक्षण), प्रशिक्षण केन्द्र, कालसी	
शक्तियां	प्रशासकीय	प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी के रूप में प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्त कार्यों का सम्पादन, फार्म के पशुओं की देख-रेख, उपचार, अनार्थिक पशुओं का निस्तारण कराना, सामयिक दुहान, चारा-दाना व्यवस्था, दूध का विपणन, पशुओं के उपचार हेतु दवाओं की मांग, डेयरी सम्बन्धी योजनाएं/परियोजनाएं बनाना एवं प्रस्तुत करना।

	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		पशु प्रजनन फार्म प्रशिक्षण केन्द्र, कालसी का सम्पूर्ण कार्यों का सम्पादन, प्रशिक्षणादि की व्यवस्था, उनका कार्यान्वयन तथा संचालन।
पद का नाम	पशुधन प्रसार अधिकारी (डेरी), कालसी, पशुप्रजनन फार्म, कालसी	
शक्तियां	प्रशासकीय	डेयरी अनुभाग सम्बन्धी समस्त कार्य सम्पादन, पशुचिकित्सक के अनुसार पशुओं का उपचार प्रबन्धन, दुहान कार्य सम्पादन, पशुओं का टीकाकरण, भूसा-दाना पंजिकाओं का रख-रखाव, डेयरी अनुभाग सम्बन्धी एम0पी0आर0 व अन्य सूचनाएं समय से देना व समस्त अभिलेखों को नियमित रूप से पूर्ण करना तथा डेयरी अनुभाग सम्बन्धी अन्य/विविधी कार्यों का सम्पादन/संचालन/क्रियान्वयन।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		फार्म के डेयरी अनुभाग सम्बन्धी समस्त कार्यों को समय से गुणवत्ता व हाईजीन के अनुसार सम्पादित करने/कराने का कार्य।
पद का नाम	ट्रैक्टर/जीप चालक, पशुप्रजनन फार्म, कालसी	
शक्तियां	प्रशासकीय	अपने चार्ज के सम्बन्धित वाहन का समुचित रख-रखाव, चालन/संचालन तथा आवश्यकतानुसार यथोचित कार्यों का सम्पादन।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		सम्बन्धित वाहन का चालन/संचालन एवं उसके रख-रखाव एवं उससे सम्पादित होने वाले समस्त कार्यों का सम्पादन एवं निष्पादन।
पद का नाम	सहायक लेखाकार, पशुप्रजनन फार्म, कालसी	
शक्तियां	प्रशासकीय	फार्म के लेखा से सम्बन्धित समस्त कार्यों का संपादन एवं निष्पादन, फार्म हेतु बजट की मांग, समस्त आडिट सम्बन्धी कार्य, बिल/कैश बुक का पारण/रख-रखाव/अंकन, अनुभागीय वित्तीय अभिलेखों की जांच/छान बीन, मासिक आय/व्यय विवरण बनाना एवं प्रेषण, ट्रायल बैलेन्स, बैलेन्सशीट एवं अन्य वार्षिक अभिलेखों को समय से तैयार करना एवं उनका रख-रखाव तथा प्रस्तुतीकरण।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		लेखा से सम्बन्धित समस्त कार्यों का समय से सम्पादन, निष्पादन एवं वित्तीय कार्यकलापों का कार्यान्वयन कराना।
पद का नाम	वरिष्ठ सहायक, पशु प्रजनन फार्म, कालसी	
शक्तियां	प्रशासकीय	स्थापना सम्बन्धी समस्त कार्यों का संपादन, व्यक्तिगत पत्रावलियों, जी0पी0एफ0 लेखों/पास बुकों का रख-रखाव तथा तत्सम्बन्धी समस्त कार्यों का सम्पादन।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		स्थापना/अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्यों के समय से सम्पादन का दायित्व।
पद का नाम	वरिष्ठ सहायक, पशु प्रजनन फार्म, कालसी	
शक्तियां	प्रशासकीय	नियोजन सम्बन्धी समस्त कार्य एवं मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन एवं अन्य सूचनाओं का संकलन/प्रेषण।
	वित्तीय	कोई नहीं

	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		नियोजन से सम्बन्धित समस्त कार्यों के समय से सम्पादन का दायित्व।
पद का नाम	कनिष्ठ सहायक, पशु प्रजनन फार्म, कालसी	
शक्तियां	प्रशासकीय	डाक प्राप्ति/प्रेषण कार्य, एस.पी.एस, लेखा रख-रखाव, पटल सम्बन्धी अभिलेखों का सम्यक रख-रखाव, एम0पी0आर0 व अन्य सूचनाएं समय पर देना व प्रेषित करना।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		डाक प्राप्ति/प्रेषण सम्बन्धी समस्त कार्यों का सम्पादन।
पद का नाम	कनिष्ठ सहायक, पशु प्रजनन फार्म, कालसी	
शक्तियां	प्रशासकीय	स्टोर/नजारत से सम्बन्धित समस्त कार्य।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		स्टोर/नजारत का कार्य सम्पादन तथा अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों में सक्रिय सहयोग सम्बन्धी दायित्व।
पद का नाम	उप प्रबन्धक, सीमेन बैंक, लालकुआ (नैनीताल)	
शक्तियां	प्रशासकीय	सीमेन बैंक, लालकुआ का सम्पूर्ण प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य एवं कुमायूं मण्डल में अतिहिमीकृत वीर्य, तरल नत्रजन एवं अन्य ए.आई. इनपुट्स के वितरण सम्बन्धी समस्त कार्यों का संपादन, संचालन, अनुश्रवण तथा अनुसरण, जिससे तरल नत्रजन आदि की निरन्तर अन्ववत सप्लाई निश्चित अंतराल पर होती रहे।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		कुमायूं मण्डल के सभी ए.आई. केन्द्रों, पैरावेट्स आदि को अतिहिमीकृत वीर्य, तरल नत्रजन एवं तत्सम्बन्धी उपकरणों स्टेशनरी एवं अन्य इनपुट्स को समय से वितरित करना एवं सीमेन बैंक, लालकुआ का प्रबन्धन।
पद का नाम	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1/जनपदीय/क्षेत्रीय समन्वयक, (PT) NDP-I	
शक्तियां	प्रशासकीय	दिये गये जनपदों (नैनीताल/ऊधमसिंहनगर) में दिये गये समय की अवधि में सब प्रोजेक्ट के लक्ष्यों को प्राप्त करना एवं प्रोजेक्ट के समस्त कार्यों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं ए0आई कार्यकर्ताओं की समस्याओं को Grieviances redressal Officer तक पहुंचाना।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		प्रोजेक्ट से सम्बन्धित समस्त कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन।

पद का नाम	परियोजना निदेशक, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैण, चमोली	
शक्तियां	प्रशासकीय	विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैण, चमोली का सामान्य प्रशासन, देख-रेख एवं नियंत्रण, राजकीय स्टाफ (समूह ग एवं घ) के अधिष्ठान सम्बन्धी, समस्त कार्य सम्पादन। फार्म के कृषि अनुभाग के सम्पूर्ण कार्यों का सम्पादन एवं संचालन। डेरी अनुभाग के अनुसार चारा उत्पादन करना तथा इस हेतु चारा उत्पादन कार्यक्रम निर्माण एवं उसे कार्यरूप देना, डेरी अनुभाग तक चारा पहुंचवाना, डेयरी अनुभाग से खेत तक खाद एवं अन्य सामान का ढुलान कराना एवं खेतों में डलवाना/मिलवाना। कृषि अनुभाग सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का रख-रखाव, ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों/उपकरणों का सम्यक रख-रखाव।
	वित्तीय	विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैण, चमोली के राजकीय बजट के अन्तर्गत ₹500.00 तक की स्वीकृति का अधिकार, अधिष्ठान के वेतन एवं भत्ते आदि का संवितरण, ₹500.00 तक निष्प्रयोज्य सामानों का निस्तारण तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को तीन माह के वेतन के बराबर तक की धनराशि जी0पी0एफ0 लेखा से स्वीकृत करने का अधिकार।
	अन्य	01 वर्ष से कम उम्र के वत्सों को निस्तारण करने का अधिकार
कर्तव्य		विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैण, चमोली के सभी कार्यों के संचालन/संपादन सम्बन्धी दायित्व, डेयरी तथा कृषि अनुभागों के कार्यकलापों का समुचित प्रबन्धन, अधीनस्थ स्टाफ से कार्य लेना, उनके कार्यों का अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा अनुसरण। निष्प्रयोज्य सामानों का निस्तारण कराना एवं अनार्थिक पशुओं के विचयन (Culling) की कार्यवाही। फार्म के कृषि अनुभाग के सम्पूर्ण कार्यकलापों का समयानुसार कार्यान्वयन, संचालन एवं निष्पादन।
पद का नाम	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2 विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैण, चमोली	
शक्तियां	प्रशासकीय	फार्म के डेरी अनुभाग के कार्यकलापों का समय से सम्पादन, संचालन व निष्पादन। फार्म के पशुओं की देख-रेख, उपचार, अनार्थिक पशुओं का निस्तारण कराना, सामयिक दुहान, चारा-दाना व्यवस्था, दूध का विपणन, पशुओं के उपचार हेतु दवाओं की मांग, डेयरी सम्बन्धी योजनाएं/परियोजनाएं बनाना एवं प्रस्तुत करना।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		फार्म के डेरी अनुभाग के सम्पूर्ण कार्यों का सम्पादन।
पद का नाम	पशुधन प्रसार अधिकारी (डेरी), भरारीसैण, विदेशी पशुप्रजनन प्रक्षेत्र, भरारीसैण	
शक्तियां	प्रशासकीय	डेयरी अनुभाग सम्बन्धी समस्त कार्य सम्पादन, पशुचिकित्सक के अनुसार पशुओं का उपचार प्रबन्धन, दुहान कार्य सम्पादन, पशुओं का टीकाकरण, भूसा-दाना पंजिकाओं का रख-रखाव, डेयरी अनुभाग सम्बन्धी एम0पी0आर0 व अन्य सूचनाएं समय से देना व समस्त अभिलेखों को नियमित रूप से पूर्ण करना तथा डेयरी अनुभाग सम्बन्धी अन्य/विविधी कार्यों का सम्पादन/संचालन/ क्रियान्वयन।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं

कर्तव्य		फार्म के डेयरी अनुभाग सम्बन्धी समस्त कार्यों को समय से गुणवत्ता व हाईजीन के अनुसार सम्पादित करने/कराने का कार्य ।
पद का नाम	ट्रैक्टर/जीप चालक, विदेशी पशु प्रजनन फार्म, भरारीसैण	
शक्तियां	प्रशासकीय	अपने चार्ज के सम्बन्धित वाहन का समुचित रख-रखाव, चालन/संचालन तथा आवश्यकतानुसार यथोचित कार्यों का सम्पादन ।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		सम्बन्धित वाहन का चालन/संचालन एवं उसके रख-रखाव एवं उससे सम्पादित होने वाले समस्त कार्यों का सम्पादन एवं निष्पादन ।
पद का नाम	लेखाकार, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैण, चमोली	
शक्तियां	प्रशासकीय	फार्म के लेखा से सम्बन्धित समस्त कार्यों का संपादन एवं निष्पादन, फार्म हेतु बजट की मांग, समस्त आडिट सम्बन्धी कार्य, बिल/कैश बुक का पारण/रख-रखाव/अंकन, अनुभागीय वित्तीय अभिलेखों की जांच/छान बीन, मासिक आय/व्यय विवरण बनाना एवं प्रेषण, ट्रायल बैलेन्स, बैलेन्सशीट एवं अन्य वार्षिक अभिलेखों को समय से तैयार करना एवं उनका रख-रखाव तथा प्रस्तुतीकरण ।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		लेखा से सम्बन्धित समस्त कार्यों का समय से सम्पादन, निष्पादन एवं वित्तीय कार्यकलापों का कार्यान्वयन कराना ।
पद का नाम	कनिष्ठ सहायक, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैण, चमोली	
शक्तियां	प्रशासकीय	डाक प्राप्ति/प्रेषण कार्य, एस.पी.एस, लेखा रख-रखाव, पटल सम्बन्धी अभिलेखों का सम्यक रख-रखाव, एम0पी0आर0 व अन्य सूचनाएं समय पर देना व प्रेषित करना ।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		डाक प्राप्ति/प्रेषण सम्बन्धी समस्त कार्यों का सम्पादन ।
पद का नाम	कनिष्ठ सहायक, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैण, चमोली	
शक्तियां	प्रशासकीय	स्टोर/नजारत से सम्बन्धित समस्त कार्य ।
	वित्तीय	कोई नहीं
	अन्य	कोई नहीं
कर्तव्य		स्टोर/नजारत का कार्य सम्पादन तथा अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों में सक्रिय सहयोग सम्बन्धी दायित्व ।

मैनुअल 3

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

4.1 लोक प्राधिकरण अथवा उसके प्राधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची *

क्र.सं.	विषय विवरण
1	यू.एल.डी.बी. के गठन की स्वीकृति हेतु 2 मार्च 01 को जारी शासनादेश
2	बोर्ड के गठन में आशिक संशोधन हेतु जारी शासनादेश दिनांक 16 अप्रैल 01
3	डा० कमल सिंह, का यू.एल.डी.बी. में स्थानान्तरण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 9 जून 02
4	यू.एल.डी.बी. के संचालन हेतु पदों के सृजन विषयक जारी शासनादेश दिनांक 9 जून 02
5	पंजीकृत प्रगतिशील ब्रीडरों के संगठन विषयक जारी शासनादेश दिनांक 24 जून 02
6	यू.एल.डी.बी. के माध्यम से सांडों की खरीद हेतु जारी शासनादेश दिनांक 24 जून 02
7	27 जून 01 को रजिस्टर्ड यू.एल.डी.बी. का सोसाइटी-रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, Memorandum of Association तथा 23.11.04 को संशोधित Rules & Regulations
8	09 जुलाई 02 को जारी शासनादेशों को त्रुटिवश 09 जून 02 लिखने पर जारी शुद्धि पत्र दिनांक 16.07.02
9	मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों को यू.एल.डी.बी. का नोडल अधिकारी नामित करने विषयक 02 अगस्त 02 का जारी शासनादेश
10	बायफ केन्द्रों के माध्यम से समितियों/स्वयं सहायता समूहों के दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किये जाने विषयक जारी शासनादेश दिनांक अगस्त 02
11	यू.एल.डी.बी. द्वारा दूरस्थ पर्वतीय स्थानों में सांड उपलब्ध कराने विषयक, 26 अगस्त 02 को जारी शासनादेश
12	वसूली जा रही ए.आई. शुल्क का पुर्ननिर्धारण करने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 27 अगस्त 02
13	पशु प्रजनन से सम्बन्धित स्टाफ को यू.एल.डी.बी. के नियंत्रण में देने विषयक शासनादेश दिनांक 28 अगस्त 02
14	सांड उपलब्ध कराने हेतु त्वरित कार्यवाही कराने विषयक, 04 सितम्बर 02 को जारी शासनादेश
15	वसूल की जा रही ए.आई.शुल्क की संशोधित दरें 16.09.02 से लागू होने विषयक शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर 02
16	डा० कमल सिंह, को जिला ग्राम्य अभिकरणों का तकनीकी सलाहकार नियुक्त करने विषयक शासनादेश 16 सितम्बर 02
17	उत्तराखण्ड की सभी पशु प्रजनन से सम्बन्धित ईकाइयों को यू.एल.डी.बी. के नेतृत्व (एक छतरी के नीचे) में कार्य करने विषयक शासनादेश दिनांक 26 सितम्बर 02
18	कृत्रिम गर्भाधान हेतु अपेक्षित प्रक्रिया सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 26 सितम्बर 02
19	मासिक/क्रमिक रिपोर्टों एवं सूचनाओं का यू.एल.डी.बी. को प्रेषण करने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 04 अक्टूबर 02
20	NPCBB के अन्तर्गत यू.एल.डी.बी. को अवमुक्त धनराशि का आडिट सम्बन्धी 18 अक्टूबर 02 को जारी कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से जारी पत्र
21	पशुपालन विभाग द्वारा स्टोर किये गए अतिहिमीकृत सीमेन की जांच हेतु कमेटी का गठन, हेतु जारी शासनादेश दिनांक 26 नवम्बर 02
22	पशु प्रजनन से सम्बन्धित ईकाइयों द्वारा ए.आई.सम्बन्धी इनपुट्स का भुगतान यू.एल.डी.बी. को करने हेतु जारी शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर 02
23	पशुपालन विभाग के अधिकारियों को कार्यों के लिए पुर्नपदस्थापित, शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर 02
24	पशुपालन/डेयरी/ग्रामीण विकास विभाग के प्रोजेक्ट निर्माण हेतु श्री सीताराम पाण्डेय की अध्यक्षता में शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर 02 द्वारा कमेटी का गठन
25	भ्रूण प्रत्यारोपण स्टेट सेन्टर, लालकुआं यू.एल.डी.बी. को हस्तान्तरित की अनुमति सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 02 दिसम्बर 02
26	सेवाकालीन प्रशिक्षण केन्द्र, का यू.एल.डी.बी. को हस्तान्तरित, 02 दिसम्बर 02 को जारी अधिसूचना
27	अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, श्यामपुर का यू.एल.डी.बी. को हस्तान्तरित करने सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 02 दिसम्बर 02

28	ए.आई.केन्द्रों द्वारा अपने संसाधनों एवं स्रोतों से अवांछित सीमेन क्रय करके विभागीय क्रायोकेनों में रखने एवं उसके प्रयोग को चेक करने हेतु जारी आदेश दिनांक 3 दिसम्बर 02
29	यू.एल.डी.बी. के एल.एन.2 वाहनों को नगरीय क्षेत्र में No Entry से मुक्त किया जाना
30	ए.आई.केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों के खुलने का समय निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 12 दिसम्बर 02
31	राज्य के समस्त ए.आई.केन्द्र/पशुऔषधालय/गोडाउन/उपकरणों आदि को यू.एल.डी.बी. को पशु प्रजनन कार्य के लिए सौंपे जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 12 दिसम्बर 02 का
32	ए.आई.कार्यों हेतु एल.एन.2 तथा सीमेन सप्लाई की पद्धति निर्धारण, सम्बन्धी 30 दिसम्बर 02 का शासनादेश
33	यू.एल.डी.बी. के इनपुट्स वितरण में लगे स्टाफ को आफ सीजन दरों पर निगम के रैनबसेरो में रात्रि विश्राम की सुविधा हेतु जारी शासनादेश दिनांक 30 दिसम्बर 02
34	नैसर्गिक अभिजनन हेतु सांडों के क्रय विषयक आदेश दिनांक 02.01.03
35	यू.एल.डी.बी. के कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु कार्यों का आवंटन सम्बन्धी आदेश दि0 17.02.03
36	अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र एवं प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माणाधीन सिविल कार्यों को यू.सी.डी.एफ. हल्द्वानी द्वारा संपादित कराने की अनुमति सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 7 मार्च 03
37	यू.एल.डी.बी. को स्वतंत्र रूप से कार्य संपादन हेतु पूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्तता दिये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 18 फरवरी 03
38	पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों कालसी एवं भराडीसैण में सुधार हेतु जारी शासनादेश दिनांक 19 फरवरी 03
39	यू.सी.डी.एफ. द्वारा अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र एवं प्रशिक्षण केन्द्र के सुदृढीकरण कार्यों की अनुमति हेतु शासनादेश दिनांक 7.03.03
40	कालसी प्रक्षेत्र एवं अन्य प्रक्षेत्रों के विभागीय बछड़ों को नैसर्गिक अभिजनन हेतु वितरित किये जाने सम्बन्धी 26 मार्च 03 का जारी शासनादेश
41	अनार्थिक पशुओं का उपयोग ड्राई डेयरी फार्म पर किये जाने की अनुमति सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 04 अप्रैल 03
42	सीमेन उत्पादन केन्द्र एवं प्रशिक्षण केन्द्र के कर्मचारियों के वेतन भत्ते आहरण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 17 मई 03
43	पशुपालन विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं की दरों में संशोधन सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 17 मई 03
44	05 तरल वीर्य संग्रह केन्द्रों को बन्द करने सम्बन्धी 19 मई 03 का शासन का कार्यालय आदेश
45	तरल वीर्य संग्रह केन्द्रों को बन्द किये जाने की तारीख तय करने विषयक शासनादेश दि0 30.05.03
46	कालसी तथा भराडीसैण फार्म में नीलाम पशुओं का वध न किये जाने सम्बन्धी 31 मई 03 को जारी शासनादेश
47	पशु प्रजनन विधाओं यथा –नैसर्गिक/कृत्रिम/भ्रूण प्रत्यारोपण तथा चारा विकास हेतु पशुपालन विभाग को शासन से राज्य सेक्टर/जिला सेक्टर के अन्तर्गत मिल रहे/मिलने वाले आयोजनागत/आयोजनेत्तर मदों की धनराशि यू.एल.डी.बी. को उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 31 मई 03
48	कालसी तथा भराडीसैण के अनुपयोगी पशुओं के निस्तारण हेतु 30 जून 03 को जारी शासनादेश
49	यू.एल.डी.बी. के अधिकारियों के संशोधित पदनाम सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 08 जुलाई 03
50	विभागीय अनुपयोगी तरल नत्रजन पात्रों एवं अन्य उपकरणों/संयंत्रों आदि को निष्प्रयोज्य घोषित करने हेतु कमेटी गठित करने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 16 जुलाई 03
51	प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में चारा अनुश्रवण समिति का गठन सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 16 अगस्त 03
52	शासनादेश सं0 45 दिनांक 16 अप्रैल 03 में आंशिक संशोधन करके अपर सचिव, पशुपालन विभाग को यू.एल.डी.बी. का पदेन उपाध्यक्ष नियुक्त करने सम्बन्धी 06 अगस्त 03 का शासन का कार्यालय ज्ञाप
53	पूर्व शासनादेशों में आंशिक संशोधन सम्बन्धी 14 अगस्त 03 को जारी शासनादेश जिसमें अनुत्पादक पशुओं को शुष्क डेयरी योजना के अन्तर्गत भेजना है।
54	17वीं पशुगणना प्रदेश के समस्त जनपदों में एक साथ कराये जाने विषयक शासन का पत्र दिनांक 26 अगस्त 03
55	प्रमुख सचिव, व.ग्रा.वि. का रिक्त होने के कारण अपर सचिव द्वारा समस्त संस्थाओं/समितियों की गवर्निंग बॉडी की समीक्षा सम्बन्धी जारी पत्र दिनांक 07 सितम्बर 03
56	पशुलोक के विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र के इन्फ्रास्ट्रचर आदि का उपयोग यू.एल.डी.बी. द्वारा करने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 13 नवम्बर 03

57	ए.आई. शुल्क की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए रू0 15 कार्यस्थल पर ही लिये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 13 नवम्बर 03
58	चारा बैंक स्थापना सम्बन्धी दिनांक 04 जनवरी 04 का शासनादेश
59	यू.एल.डी.बी. के अधीन कार्यरत पशुचिकित्साधिकारियों को मकान किराया भत्ता सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 08 जनवरी 04
60	प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, को यू.एल.डी.बी. का अध्यक्ष नामित करने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 16 जनवरी 04
61	तरल नत्रजन संयंत्र/सीमेन बैंक, लालकुआं, का परिसर सहित समस्त आवासीय, अनावासीय भवन, कार्यालय एवं अन्य विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि यू.एल.डी.बी. द्वारा उपयोग किये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 24 फरवरी 04
62	एफ.पी.आर. सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 24.मार्च 04
63	वन पंचायतों माध्यम से यू.एल.डी.बी. द्वारा चारा विकास कार्यक्रम के संचालन से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 05 अप्रैल 04
64	डी.एफ.एस0, श्यामपुर की अधिसूचना में संदर्भित 98.78 एकड़ भूमि/फार्म पर/में स्थित/निर्मित विभिन्न योजनाओं के समस्त भवन/अवस्थापना आदि यू.एल.डी.बी. को हस्तान्तरित कर दिये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 16 अप्रैल. 2004
65	यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र के बगल में उसके दाहिनी ओर स्थित पशुलोक की 1.5 एकड़ भूमि पर यू.एल.डी.बी. के नए प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण/स्थापना की अनुमति से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 20 मई 04
66	श्री अनिल कुमार सिंह, स0चारा अधिकारी/कृषि प्रभारी, पशुपालन विभाग को यू.एल.डी.बी. में तैनात करने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 11 जून 04
67	चारे के सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स स्थापित करने के लिए वन पंचायत स्तर पर गठित कमेटी सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 11 जून 04
68	यू.एल.डी.बी. द्वारा उत्तराखण्ड में चारा विकास कार्यक्रम संपादित करने हेतु यू.एल.डी.बी. स्तर पर गठित कोरग्रुप से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 11 जून 04
69	नैसर्गिक अभिजनन हेतु यू.एल.डी.बी. द्वारा सांडपालकों को उपलब्ध कराये गए सांडों की देखरेख एवं उपचार आदि के प्रबन्धन हेतु जारी शासनादेश दिनांक 11 जून 04
70	यू.एल.डी.बी. को विभागीय बजट से स्वीकृत वित्तीय सहायता केवल बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 11 जून 04
71	प्रत्येक जनपद में एक वन पंचायत को चारे का सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स बनाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 21 जून 04
72	चयनित वन पंचायतों में चारा विकास का सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स स्थापित करने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 30 जून 04
73	उत्तरांचल चारा विकास परियोजना के कार्यान्वयन सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 30 जून 04
74	यू0.एल0डी0बी0 में उपाध्यक्ष नामित करने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 15 जुलाई 04
75	चारा विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न जनपदों में चारा अधिकारियों को कार्य आवंटन सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 07 अगस्त 04
76	नैसर्गिक अभिजनन हेतु सांडों के संशोधित क्रय पद्धति से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 11 अगस्त 04
77	जलागम योजना के अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान कार्य सम्पादन हेतु जारी शासनादेश दिनांक 27 अक्टूबर 04
78	विभागीय राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों में पशुओं के गर्भाधान हेतु केवल ए.आई. पद्धति अपनाये जाने सम्बन्धी शासनादेश 02 नवम्बर 04
79	राज्य के प्रत्येक जनपद में एक-एक वन पंचायत में चारा घासों का सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स विकसित करने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 23 नवम्बर 04
80	यू.एल.डी.बी. में कर्मचारियों की तैनाती के सम्बन्ध में जारी शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर 04
81	यू.एल.डी.बी. चारा बैंक हेतु क्रय होने वाले कच्चे माल का भुगतान सहकारी कैटिल फीड फैक्ट्री की दरों पर दिये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर 04

82	विभिन्न सामग्री / उपकरण / संयंत्र / पात्र आदि के क्रय में यू.एल.डी.बी. को स्वायत्तता प्रदान करने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 31.दिसम्बर 04
83	यू.एल.डी.बी. द्वारा वितरित सांडों की आवश्यकतानुसार रिटैगिंग करने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर 04
84	एफ.पी.आर. हेतु संशोधित मानदेय निर्धारण सम्बन्धी शासनोदेश 03 जनवरी 05
85	राजकीय पशु प्रजनन एवं दुग्धशाला प्रक्षेत्र कालसी, यू.एल.डी.बी. को हस्तान्तरित करने किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 02 अप्रैल 05
86	कालसी फार्म का नाम तथा उसमें कार्यरत स्टाफ के पदनाम परिवर्तन से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल 05
87	पशु प्रजनन फार्म, कालसी की भूमि का डिमार्केशन कराये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल 05
88	उत्तराखण्ड पशुधन प्रजनन नीति 2005 को राज्य में लागू किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 26 मई 05
89	यू.एल.डी.बी. तथा उसकी विभिन्न इकाईयों में अनुपयोगी सामान को निष्प्रयोज्य घोषित करने तथा उसके निस्तारण / नीलामी / विक्रय आदि कार्य संपादन हेतु गठित कमेटी सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 15 जून 05
90	यू.एल.डी.बी. के बोर्ड में विभिन्न स्तर से प्रतिनिधियों के नामांकन सम्बन्धी 02 शासनादेश दिनांक 29 जून 05
91	विभागीय योजनाओं / कार्यक्रमों के लिये नोडल अधिकारी नामित किये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 18 जुलाई 05
92	राज्य में गौवंशीय पशुओं के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या 1889 / XV-1 / 14 / 7(9) / 13 दिनांक 16 जनवरी, 2014
92	अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्रा / कृत्रिम गर्भाधान सेवा शुल्क की दरों को पुनरीक्षित किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 620 / XV-1 / 14 / 7(81) / 05 दिनांक 24 जून, 2014
93	विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीस, चमोली का यू.एल.डी.बी. को हस्तान्तरण सम्बन्धी शासनादेश संख्या 55 / XV-1 / 7(35) / 09 दिनांक 05 मार्च, 2014

मैनुअल 4

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधियों से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण

नीति निर्धारण हेतु

5.1 लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधियों के परामर्श/ भागीदारी का प्राविधान।

5.2

क्र.सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है ? (हां/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु की गई व्यवस्था
1	यू.एल.डी.बी. की गवर्निंग बॉडी	हां	यू.एल.डी.बी. की नीतियों के निर्धारण में सहभागिता हेतु इसके बोर्ड में 1. दुग्ध संघों के प्रतिनिधि 2. गोशालाओं के प्रतिनिधि, 3. एन.जी.ओ. के प्रतिनिधि, 4. पशुधन विशेषज्ञ एवं 5. चारा विशेषज्ञ शासन द्वारा नामित किये गए हैं।
2	यू.एल.डी.बी. की अधिशासी कमेटी	हां	बोर्ड के नैतिक (Routine) कार्यों में जन सहभागिता हेतु उपरोक्त में से 1. एन.जी.ओ के प्रतिनिधि तथा 2. चारा विकास विशेषज्ञ को अधिशासी कमेटी में बोर्ड द्वारा आमेलित किया गया है।

नीति के कार्यान्वयन हेतु

5.3 लोक प्राधिकरण द्वारा नीतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधियों से/की परामर्श/भागीदारी का प्राविधान।

क्र.सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हां/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु की गई व्यवस्था
1	नैसर्गिक अभिजनन हेतु सांड वितरण	हां	I. सांड क्रय हेतु गठित क्रय कमेटी में सम्बन्धित क्षेत्र/गांव का पशुपालक (जो सांड को पालेगा/रख-रखाव करेगा) सदस्य के रूप में नामित है। II- अनुपयुक्त हो गये सांडों को निस्तारित करने सम्बन्धी कमेटी में : 1. सम्बन्धित ग्रामसभा के प्रधान-अध्यक्ष, 2. सम्बन्धित दुग्ध समिति (यदि हो) के अध्यक्ष-सदस्य तथा 3. सम्बन्धित क्षेत्र/गांव का पशुपालक (जो सांड का रख-रखाव करता था) सदस्य के रूप में नामित है।
2	एन.पी.बी.बी. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वरोजगारी ए.आई.कार्यकर्ता का प्रशिक्षण हेतु चयन।	हां	जनपदीय चयन समिति में सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा पशुचिकित्साधिकारी एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को अध्यक्ष, सदस्य के रूप में नामित हैं।

मैनुअल-5

लोक प्राधिकारी के पास या उसके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों
(Categories) के अनुसार विवरण

लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी देने हेतु प्रारूप

क्र.सं.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1	अधिष्ठान से सम्बन्धित	प्रशासनिक एवं स्थापना सम्बन्धी अभिलेख	शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार	स्थापना प्रभारी, यू.एल.डी.बी. मुख्यालय
2	स्टोर से सम्बन्धित	स्टोर एवं नजारत सम्बन्धी अभिलेख	शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार	नाजिर, यू.एल.डी.बी. मुख्यालय
3	लेखा से सम्बन्धित	लेखा, आडिट, बिल एवं वाउचर्स, सिव्योरिटीज़, एम.ओ.यू./अनुबन्ध तथा टैक्स सम्बन्धी अभिलेख	शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार	लेखाकार यू.एल.डी.बी., मुख्यालय
4	चारा से सम्बन्धित	चारा सम्बन्धी परिपत्र, आदेश, निर्देश, एवं दिशा निर्देश आदि	शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार	अपर प्रबन्धक (चारा) यू.एल.डी.बी., मुख्यालय
5	पशु प्रजनन से सम्बन्धित	पशु प्रजनन सम्बन्धी विभिन्न विधाओं यथा- नैसर्गिक अभिजनन, कृत्रिम गर्भाधान एवं भ्रूण प्रत्यारोपण और तत्सम्बन्धी इकाइयों तथा सम्बन्धित संयंत्रों, उपकरणों/ मशीनों सम्बन्धी अभिलेख	शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार	उप प्रबन्धक (एम.आई.एस.), यू.एल.डी.बी., मुख्यालय
6	प्रशिक्षण से सम्बन्धित	विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों से सम्बन्धित आदेश निर्देश, पुस्तिकाएं आदि	शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार	उप प्रबन्धक (प्रशि.), यू.एल.डी.बी., मुख्यालय

मैनुअल-6
बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

7.1 लोक प्राधिकरण से सम्बद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण।

- **सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता :**
उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड, पशुधन भवन, द्वितीय तल (बांयी विंग), मोथरोवाला रोड, पो0ऑ0 मोथरोवाला, देहरादून-248001
- **सम्बद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य) :**
सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत समिति ।
- **सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य) :**
 - **स्थापना** — जुलाई 2002
 - **मुख्यालय** — पशुधन भवन, द्वितीय तल (बांयी विंग), मोथरोवाला रोड, पो0ऑ0 मोथरोवाला, देहरादून-248001
 - **पंजीकरण संख्या**—343 दिनांक 27.06.2001 (सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत)।

उद्देश्य :

- पशु प्रजनन एवं पशुधन विकास से सम्बन्धित संस्थागत ढांचा में सुधार, उनके उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं तत्सम्बन्धी नई संस्थाओं की स्थापना कर ऐसे निवेश से लाभ प्राप्त करने में राज्य सरकार को सलाह एवं सहायता करना।
- राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर गाय एवं भैंसों हेतु राज्य की पशु प्रजनन नीति के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करके पशु उत्पादन एवं गुणवत्ता में निरन्तर वृद्धि करना।
- गैर सरकारी संस्थाओं (सहकारी समितियों, गोशालाओं, ट्रस्टों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं) आदि को संगठित/प्रोत्साहित करके गुणात्मक प्रजनन सामग्री का उत्पादन/उपार्जन करना एवं लाभार्थी/कृषकों के द्वार पर ही पशुप्रजनन सेवाएं उपलब्ध कराना।
- अतिहिमीकृत वीर्य एवं तरल नत्रजन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं सुचारु रूप से सुव्यस्थित कर निरन्तर आपूर्ति करना।
- गाय एवं भैंसों को आधुनिक तकनीकों के अनुसार रख-रखाव व पालन-पोषण करके देशी एवं संकर नस्ल के उच्च प्रजाति/गुणवत्ता के सांड नैसर्गिक अभिजनन हेतु तैयार करना।

मुख्य कृत्य :

सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के पशुधन (गाय एवं भैंस) के प्रजनन एवं पशु-प्रबन्धन को नवीनतम तकनीकों द्वारा प्रोत्साहित कर बढ़ावा देना एवं इससे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों को स्वावलम्बी बनाकर पशुधन उत्पादों में वृद्धि करना है।

- **स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य :**

स्वरूप : उत्तराखण्ड सरकार का एक उपक्रम।

वर्तमान सदस्य :

1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं गाम्य विकास विभाग शाखा, उत्तराखण्ड शासन, अध्यक्ष देहरादून।
2. संयुक्त सचिव (पशुपालन), पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय, सदस्य भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली – 110001।
3. सचिव, पशुपालन एवं डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून। सदस्य
4. अपर सचिव, पशुपालन एवं डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून। सदस्य
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन, मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)। सदस्य
6. निदेशक, डेरी विकास विभाग, मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)। सदस्य
7. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून। सदस्य
8. अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, जी.बी.पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर ऊधमसिंहनगर। सदस्य
9. परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए., देहरादून। सदस्य
10. प्रतिनिधि, बायफ राज्य कार्यालय, उत्तराखण्ड। सदस्य
11. डा० राजेन्द्र प्रसाद बहुगुणा, सर्कुलर रोड, देहरादून, (प्रतिनिधि पशुधन)। सदस्य
12. स्टेट डायरेक्टर, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, प्लाट नं०-3, सैक्टर-1, नोएडा (उ०प्र०)-201301 सदस्य
13. अध्यक्ष, नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, लालकुंआ (नैनीताल) (डेरी प्रतिनिधि)। सदस्य
14. स्वामी हरिदास (प्रतिनिधि गौशाला), मानव सेवा मिशन, मुकुन्द पैलेस गंगोरी उत्तरकाशी, (प्रतिनिधि गोशाला) सदस्य
15. प्रभारी परिसर, आई.वी.आर.आई., मुक्तेश्वर, जिला-नैनीताल। सदस्य
16. श्री महेन्द्र सिंह कुंवर, 744, इन्दिरानगर, पो०आँ० न्यू फारेस्ट, देहरादून (एन.जी.ओ. प्रतिनिधि)। सदस्य
17. डा. कमल सिंह, मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी., देहरादून। सदस्य/सचिव

• मुख्य अधिकारी का नाम : — डा० कमल सिंह

• मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते :

1. मुख्यालय — पशुधन भवन, द्वितीय तल (बांयी विंग), मोथरोवाला रोड, पो०आँ० मोथरोवाला, देहरादून-248001

2. शाखा कार्यालय इकाइयाँ :

क. डी.एफ.एस., श्यामपुर — अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, ऋषिकेश-हरिद्वार बाई पास मार्ग, ऋषिकेश, श्यामपुर-ऋषिकेश, जनपद-देहरादून।

ख. प्रशिक्षण केन्द्र — यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र, ऋषिकेश, गंगा बैराज मार्ग, ऋषिकेश, जनपद-देहरादून।

ग. चारा बैंक — यू.एल.डी.बी. चारा बैंक, लक्कड़घाट मार्ग, ऋषिकेश, जनपद- देहरादून।

घ. सीमेन बैंक — यू.एल.डी.बी. सीमेन बैंक, नैनीताल दुग्ध संघ के निकट, लालकुंआ (नैनीताल)

ड. पशुप्रजनन फार्म — पशुप्रजनन फार्म कालसी एवं इम्ब्रियो बायोटेक्नालॉजी रिसर्च एवं ट्रेनिंग सेन्टर, कालसी जनपद-देहरादून

च. फॉडर बैंक — पशुप्रजनन फार्म परिसर, कालसी, जनपद-देहरादून

छ. विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र — विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैण, जनपद- चमोली

- **बैठक की आवृत्ति :**

वार्षिक सामान्य बैठक	—	वर्ष में एक बार।
साधारण सामान्य बैठक	—	आवश्यकतानुसार।
असाधारण सामान्य बैठक	—	आवश्यकतानुसार।
अधिसासी कमेटी बैठक	—	आवश्यकतानुसार।

- **क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ?**

राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि भाग लेते हैं।

- **क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किये जाते हैं ?**

हां।

- **क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ?**

यदि हां, तो उसकी प्रक्रिया ?

हां, जनसामान्य की मांग पर नियमानुसार।

मैनुअल-7

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

8.1 लोक प्राधिकरण में कार्यरत लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलेंट अथोरिटी से सम्बन्धित सूचना ।

लोक प्राधिकरण का नाम: उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड (यू.एल.डी.बी.)

लोक सूचना अधिकारी : मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/जनपदीय प्रबन्धक

क्र सं	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	डा0 आर0एस0 नेगी	मु0पशुचिकित्साधिकारी	0135	2712891	—	2712574	—	विकास भवन, ई.सी.रोड, देहरादून
2	डा0 एम.एस. नयाल	मु0पशुचिकित्साधिकारी	01334	239978	—	239034	—	विकास भवन, रोशानाबाद, हरिद्वार
3	डा. पी. एस. रावत	मु0पशुचिकित्साधिकारी	01376	227296	—	—	—	नरेन्द्र नगर, टिहरी
4	डा0 बी.सी. कर्नाटक	मु0पशुचिकित्साधिकारी	01374	222320	—	—	—	विकास भवन, उत्तरकाशी
5	डा0 राजेन्द्र कुमार वर्मा	मु0पशुचिकित्साधिकारी	01368	223084	—	223462	—	विकास भवन, पौड़ी
6	डा0 रमेश चन्द्र नित्वाल	मु0पशुचिकित्साधिकारी	01364	233251	—	—	—	राजकीय पशु चिकित्सालय परिसर रूद्रप्रयाग
7	डा0 लोकेश कुमार	मु0पशुचिकित्साधिकारी	01372	252273	—	—	—	विकास भवन, गोपेश्वर (चमोली)
8	डा0 रमेश चन्द्रा	मु0पशुचिकित्साधिकारी	05944	242787	—	—	—	विकास भवन, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)
9	डा0 पी0सी0 काण्डपाल	मु0पशुचिकित्साधिकारी	05942	248362	—	—	—	विकास भवन, भीमताल, नैनीताल
10	डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी	मु0पशुचिकित्साधिकारी	05962	232289	—	—	—	विकास भवन, अल्मोड़ा
11	डा. उदय शंकर	मु0पशुचिकित्साधिकारी	05963	9412044990	—	—	—	पशुचिकित्सालय परिसर, बागेश्वर
12	डा0 जी0एस0 धामी	मु0पशुचिकित्साधिकारी	05964	225319	—	—	—	विकास भवन, पिथौरागढ़
13	डा0 पी. एस. भण्डारी	मु0पशुचिकित्साधिकारी	05965	230843	—	—	—	पशुचिकित्सालय परिसर, चम्पावत
14	डा0 प्रेम कुमार	परियोजना निदेशक	01360	275073	—	275073	—	पशु प्रजनन फार्म कालसी, देहरादून।
15	डा0 एस0के0 सिंह	परियोजना निदेशक		9410393688	—	—	—	विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैण, चमोली

सहायक सूचना अधिकारी : राज्य स्तरीय (यू.एल.डी.बी. स्तर)

क्र सं	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री जी.सी. बमोला	वरिष्ठ सहायक	0135	2532619	मोबाइल 9410744155	2532619	ceo_uldb@rediffmail.com	पशुधन भवन, द्वितीय तल (बांयी विंग) मोथरोवाला रोड, पो0ऑ0 मोथरोवाला, देहरादून।

लोक सूचना अधिकारी : राज्य स्तरीय (यू.एल.डी.बी. स्तर)

क्र सं	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	डा0 विशाल शर्मा	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-1	0135	2532619	मोबाइल 9412369347	2532619	ceo_uldb@rediffmail.com	पशुधन भवन, द्वितीय तल (बांयी विंग) मोथरोवाला रोड, पो0ऑ0 मोथरोवाला, देहरादून।

विभागीय अपीलेंट अथोरिटी : यू.एल.डी.बी. स्तरीय

क्र सं	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	डा0 कमल सिंह	मुख्य अधिशासी अधिकारी	0135	2532619 2532589	9412075669	2532619	ceo_uldb@rediffmail.com	पशुधन भवन, द्वितीय तल (बांयी विंग) मोथरोवाला रोड, पो0ऑ0 मोथरोवाला, देहरादून।

मैनुअल-8
निर्णय लेने की प्रक्रिया

9.1 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए लोक प्राधिकरण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

यू.एल.डी.बी. स्तर पर फील्ड/जनपदों/इकाइयों से प्राप्त होने वाले पत्रों, आने वाली समस्याओं/कठिनाइयों, अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों, वित्तीय मामलों तथा नीतिगत विषयों पर इकाई/मुख्यालय स्तरीय कर्मचारियों/अधिकारियों से विचार-विमर्श कर यू.एल.डी.बी. द्वारा मुख्य अधिशासी अधिकारी स्तर पर यथोचित प्रस्ताव/नीतिगत निर्णय लेने की कार्यवाही की जाती है। नियमावली तथा शासनादेशों के अनुसार मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा उन विषयों पर निर्णय लेकर आदेश/निर्देश/दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र में है।

उपरोक्त अधिकारी क्षेत्र से आगे/बाहर के मामले अध्यक्ष, यू.एल.डी.बी. के स्तर से निर्णीत होते हैं। इनमें से रूटीन नीतिगत मामले स्वीकृति/अनुमोदन हेतु अधिशासी कमेटी को संदर्भित किये जाते हैं, जहां से वे निर्णीत होते हैं और तदनुसार आदेश/दिशा निर्देश मुख्य अधिशासी अधिकारी स्तर से जारी किये जाते हैं।

प्रमुख नीतिगत प्रकरण/मामले बोर्ड की गवर्निंग बॉडी के समक्ष ले जाये जाते हैं, जिन पर गवर्निंग बॉडी द्वारा यथोचित निर्णय लेने के उपरांत तदनुसार आदेश/निर्देश/दिशा निर्देश जारी होते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त कतिपय अत्यंत महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न/प्रकरण निर्णय हेतु उत्तराखण्ड शासन को संदर्भित होते हैं, जहां से होने वाले निर्णयों के अनुसार यू.एल.डी.बी. स्तर पर यथोचित कार्यवाही संपन्न की जाती है।

9.2 किसी विषय विशेष पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया अथवा निर्णय लेने के लिए विचार किये जाने वाले स्तरों का उल्लेख।

अनुभागीय अधिकारी स्तर/इकाई प्रभारी स्तर पर : विषयवार विवेकानुसार।

यू.एल.डी.बी. स्तर पर : क. मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा

ख. अध्यक्ष स्तर पर

ग. अधिशासी कमेटी स्तर पर

घ. गवर्निंग बॉडी स्तर पर

9.3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था का उल्लेख।

1. पत्रों/परिपत्रों द्वारा।
2. समाचार पत्रों द्वारा।
3. जनपदीय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/जनपद प्रबन्धक, यू.एल.डी.बी. के द्वारा।
4. सम्बन्धित ए.आई.केन्द्रों/प्राइवेट पैरावेट्स/सांडपालकों आदि के माध्यम से।
5. समय-समय जारी किये जाने वाले पोस्टर, पम्पलेट, हैण्डबिल एवं पुस्तक/पुस्तिकाओं के संचितरण से।
6. समय-समय यू.एल.डी.बी. द्वारा आयोजित की जाने वाली गोष्ठियों/सेमीनार, आदि के माध्यम से।
7. यू.एल.डी.बी. की वेबसाइट पर सम्बन्धित सूचनाओं को अपलोड कर सूचनाएं सम्प्रेषित/प्रसारित करके।

9.4 विभिन्न स्तर पर निर्णय लेने के लिए जिन अधिकारियों की संस्तुति प्राप्त की जाती है, उनका विवरण :

जनपद स्तर पर : मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/जनपद प्रबन्धक, यू.एल.डी.बी.

इकाई स्तर पर : सम्बन्धित इकाई प्रभारी यथा-प्राचार्य, यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र, पशुलोक-ऋषिकेश, अपर प्रबन्धक (डी.एफ.एस.) श्यामपुर -ऋषिकेश, उप प्रबन्धक (चारा बैंक), श्यामपुर-ऋषिकेश, उप प्रबन्धक (सीमैन बैंक), लालकुआं-नैनीताल एवं परियोजना निदेशक/अपर प्रबन्धक, पशु प्रजनन फार्म, कालसी/परियोजना निदेशक, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, भरारीसैण, चमोली।

राज्य स्तर : यू.एल.डी.बी. मुख्यालय के सम्बन्धित अनुभागीय अधिकारी, एवं विभिन्न विषयों पर गठित कमेटी एवं समितियां।

9.5 अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारित अधिकारी ।

मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी., मुख्यालय ।

9.6 लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिये जाने वाले मुख्य विषय :

क्र० सं०	
विषय जिस पर निर्णय लिया जाना है	यू.एल.डी.बी. द्वारा किये जा रहे कार्यों से सम्बन्धित समस्त विषय ।
दिशा निर्देश (यदि हो तो)	दिशा निर्देशों का विवरण मैनुअल 3 में उल्लिखित है ।
निर्णय लेने की प्रक्रिया	उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों के पदनाम	जनपद स्तरीय : मुख्य पशुचिकित्साधिकारी / जनपदीय प्रबन्धक, यू.एल.डी.बी. । इकाई स्तर पर : सम्बन्धित इकाई प्रभारी, मुख्यालय स्तर पर : सम्बन्धित अनुभागीय अधिकारी, मुख्य अधिशासी अधिकारी, अध्यक्ष, यू.एल.डी.बी. ।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	मैनुअल 7 में उल्लिखित है ।
निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें	जनपद स्तरीय, इकाई स्तरीय, अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध : मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी. को अपील होगी। अपील की प्रक्रिया सूचना के अधिकार सम्बन्धी नियमावली के अनुसार होगी ।

मैनुअल-9

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

10.1 जनपदवार जानकारी का प्रारूप *

यू.एल.डी.बी. देहरादून के कार्मिकों का विवरण

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	डा० कमल सिंह	मुख्य अधिशासी अधिकारी	0135	2532589	9412075669	2532619	ceo_uldb@rediffmail.com	पशुधन भवन, द्वितीय तल (बांयी विंग) मोथरोवाला रोड, पो०अ०० मोथरोवाला, देहरादून।
2	श्री देवेन्द्र कुमार	चालक (संविदा पर)	0135	2532619	—	तदैव	तदैव	तदैव
3	श्री उमेश पसबोला	कम्प्यूटर आपरेटर(लेखा) (6 माह के अनुबन्ध पर)	0135	2532619	—	तदैव	—	तदैव
4	श्री अनिल भण्डारी	कम्प्यूटर आपरेटर (प्रशि०) (6 माह के अनुबन्ध पर)	0135	2453842	—	तदैव	—	यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र, गंगा बैराज रोड, पशुलोक – ऋषिकेश

* उपरोक्त प्रारूप सम्बन्धी पशुपालन विभाग से नोशनल डेपुटेशन/तैनाती पर यू.एल.डी.बी. में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी पशुपालन विभाग, स्तर से उनके द्वारा जारी किये गये मॅनुअल में उल्लिखित है।

मैनुअल-10
प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और
उसके निर्धारण की पद्धति

11.1 जानकारी का प्रारूप *

क्र. सं.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक / पारितोषित भत्ता (रु०)	विशेष विवरण
1	डा० कमल सिंह	मुख्य अधिशासी अधिकारी		उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन से नोशनल डेपुटेशन पर तैनात।	यू.सी.डी.एफ. के नियमानुरूप
2	श्री देवेन्द्र कुमार	चालक	—	13,700	संविदा पर
3	श्री उमेश पसबोला	कम्प्यूटर आपरेटर (लेखा)	—	13,700	6 माह के अनुबन्ध पर
4	श्री अनिल भण्डारी	कम्प्यूटर आपरेटर (प्रशि०)	—	12,200	6 माह के अनुबन्ध पर

* शासन के निर्णय / आदेशानुसार यू.एल.डी.बी. में मुख्यतः पशुपालन विभाग के अधिकारी / कर्मचारी नोशनल डेपुटेशन पर कार्य कर रहे हैं, और उनके वेतन / भत्ते आदि पशुपालन विभाग द्वारा ही वहन किये जा रहे हैं, फलस्वरूप उपरोक्त प्रारूप सम्बन्धी जानकारी पशुपालन विभाग स्तर से उनके द्वारा जारी किये गये मैनुअल में उल्लिखित है।

पशुपालन विभाग के उपरोक्तानुसार उल्लिखित स्टाफ सहित उपरोक्त कार्यरत स्टाफ का समूहवार विवरण (संख्यावार) निम्नवत है :

- समूह क : 01 पद (यू.सी.डी.एफ से)
- 11 पद (पशुपालन विभाग से)
- समूह ख : 01 पद (पशुपालन विभाग) से
- समूह ग : 29 पद (पशुपालन विभाग) से
- समूह घ : 52 पद (पशुपालन विभाग) से

मैनुअल-11

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट
(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

12.1 निर्माण, विकास तकनीकी कार्य करने वाले लोक प्राधिकरणों के लिए लोक प्राधिकरण के प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट की सूचना (जिसमें सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण का उल्लेख हो) का प्रारूप *

वर्ष 2014-15

(लाख ₹)

क्र०सं 0	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	कार्य के समापन की अनुमानित तिथि	स्वीकृत बजट (लाख ₹)	अवमुक्त बजट (लाख ₹)	शासन द्वारा प्रदत्त धनराशि (किस्तों में)	कुल व्यय	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी
1	पशुधन बीमा योजना	पशु बीमा	01-04-14	31-03-15	0.00	0.00	0.00	0.00	मुख्य अधिशासी अधिकारी
2	नेशनल डेरी प्लान फेज-1	Production of High Genetic Merit Crossbreed HF bulls through Progeny Testing, sub Project Plan	01-11-13	31-03-15	262.18	203.78	0.00	176.78	मुख्य अधिशासी अधिकारी
3	नेशनल डेरी प्लान फेज-1	Strengthening of Deep Frozen Semen Production Centre Shyampur, Sub Project Plan	01-11-13	31-03-15	401.39	175.20	0.00	90.61	मुख्य अधिशासी अधिकारी
4	एन.पी.बी. बी.	Extension of Field Artificial Insemination Establishment of Maitri (Private AI Centers) Training of Maitri	01-04-14	31-03-15	856.10	337.00	0.00	91.63	मुख्य अधिशासी अधिकारी

मैनुअल-12
अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

जानकारी का प्रारूप :

- **कार्यक्रम/योजना का नाम**
राष्ट्रीय गौ एवं महिषवंशीय परियोजना
- **कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा (अवधि)**
10 वर्ष
- **कार्यक्रम का उद्देश्य**
सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में पशुधन (गाय एवं भैंस) के प्रजनन एवं प्रबन्धन को नवीनतम तकनीकों द्वारा बढ़ावा देना एवं इससे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों को स्वावलम्बी बना कर पशुधन उत्पादों में वृद्धि करना।
- **कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (विगत वर्ष में) ***
भौतिक लक्ष्य :

क्र.	मद	2014-15	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1.	नये/सचल कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना	50	20
	कृत्रिम गर्भाधान (संख्या)	650000	598830
	कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतति (संख्या)	273000	263100
2.	नैसर्गिक अभिजनन हेतु सांड वितरण (संख्या) *	—	24
3.	फोजन सीमेन उत्पादन केन्द्र का सुदृढीकरण	01	01
4.	अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्रा का उत्पादन	2450000	2689125
	प्रशिक्षण केन्द्र का सुदृढीकरण/स्थापना	01	01
5.	एन.पी.बी.बी. परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण	—	211
6.	यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा निष्पादित/प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	500	489
7.	कालसी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा	500	411
8.	फारमर्स ओरियन्टेशन एवं इनफर्टिलिटी कैम्प	—	160
9.	चारा विकास कार्यक्रम		
क.	काम्पैक्ट फीड सप्लीमेन्ट ब्लाक निर्माण (मी0टन)	3000	2457.002
	काम्पैक्ट फीड सप्लीमेन्ट ब्लाक वितरण (मी0टन)	3000	2457.5
10	एनडीपी-1 के अन्तर्गत पी.टी. परियोजना		
	Bulls put to test	20	9
	No. of Test AI done	40000	3886
	Total long storage FSDs	60000	27000
	No. of Pregnancies	16000	939
	No. of Calving	12000	311
	No. of Daughters Born	6000	150
	No. of Daughters Identified	4320	150
	No. Daughters registered	3888	143
	Number of Animal Milk recordings	1800	672
11	एनडीपी-1 के अन्तर्गत सीमेन बैंक का सुदृढीकरण परियोजना Strengthening of Deep Frozen Semen Production Centre, Shyampur, Sub Project Plan		
	Frozen semen dose production (Lakh)	20.30	26.89
	Frozen semen dose sale (Lakh)	20.20	23.00
	Semen dose production per bull per year	30300	42017
	Bull under collection	67	64

- **लाभार्थी की पात्रता**
नैसर्गिक अभिजनन कार्यक्रम का लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र का पशुपालक अथवा पशुपालन में रुचि रखने वाला होना चाहिए। महिला लाभार्थी को कार्यक्रम में प्राथमिकताएं दी जाती हैं ।
- **पूर्वापेक्षाएं**
ग्रामीण पशुपालक हो।
- **अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया**
मैनुअल 3 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप ।
- **पात्रता निश्चित करने के लिए मापदण्ड**
मैनुअल 3 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप ।
- **दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (अनुदान की राशि सहित)**
अनुदान के रूप में कोई नकद धनराशि नहीं दी जाती। सांडपालक को यू.एल.डी.बी. की ओर से अपने क्षेत्र में नैसर्गिक अभिजनन कार्य सम्पन्न करने हेतु निःशुल्क सांड उपलब्ध कराये जाते हैं।
- **अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया**
मैनुअल 3 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप ।
- **आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें ।**
जनपदीय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/जनपद प्रबन्धक, यू.एल.डी.बी. अथवा/एवं सम्बन्धित दुग्ध संघ के प्रधान प्रबन्धक से ।
- **आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)**
कोई शुल्क नहीं ।
- **अन्य शुल्क (जहां उचित हो)**
कोई शुल्क नहीं ।
- **आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता हो, तो स्पष्ट उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदन कर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)**
संलग्नक 01 पर संलग्न है ।
- **संलग्नकों की सूची**
01
- **संलग्नकों का प्रारूप**
प्रारूप संलग्न
- **प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें**
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/जनपदीय प्रबन्धक, यू.एल.डी.बी. अथवा/एवं सम्बन्धित दुग्ध संघ के प्रधान प्रबन्धक से ।
- **उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे—जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि)**
लागू नहीं ।
- **लाभार्थियों की सूची ***
लाभार्थियों का जनपदवार विवरण निम्नवत है :

क. कृत्रिम गर्भाधान सम्बन्धी विवरण

क्रमांक	नाम जनपद	केन्द्रों का वर्ग	कार्य कर रहे ए.आई.केन्द्रों की संख्या
1	देहरादून	राजकीय ए.आई. केन्द्र	58
		स्वरोजगारी ए.आई.कर्ता	28
		बायफ	13
2	हरिद्वार	राजकीय ए.आई.केन्द्र	39
		स्वरोजगारी ए.आई.कर्ता	61
		बायफ	10
3	टिहरी	राजकीय ए.आई.केन्द्र	29
		स्वरोजगारी ए.आई.कर्ता	09
		बायफ	03
4	उत्तरकाशी	राजकीय ए.आई.केन्द्र	28
		स्वरोजगारी ए.आई.कर्ता	21
		बायफ	05
5	रूद्रप्रयाग	राजकीय ए.आई.केन्द्र	20
		स्वरोजगारी ए.आई.कर्ता	04
		बायफ	05
6	चमोली	राजकीय ए.आई.केन्द्र	09
		स्वरोजगारी ए.आई.कर्ता	16
		बायफ	20
7	पौड़ी	राजकीय ए.आई.केन्द्र	49
		स्वरोजगारी ए.आई.कर्ता	18
		बायफ	04
8	नैनीताल	राजकीय ए.आई.केन्द्र	71
		स्वरोजगारी ए.आई.कर्ता	26
		बायफ	14
		दुग्ध समितियां	03
9	ऊधमसिंहनगर	राजकीय ए.आई.केन्द्र	89
		स्वरोजगारी ए.आई.कर्ता	75
		बायफ	17
		दुग्ध समितियां	16
10	अल्मोड़ा	राजकीय ए.आई.केन्द्र	64
		स्वरोजगारी ए.आई.कर्ता	15
		बायफ	12
		दुग्ध समितियां	01
11	बागेश्वर	राजकीय ए.आई.केन्द्र	16
		स्वरोजगारी ए.आई.कर्ता	08
		बायफ	11
12	पिथौरागढ़	राजकीय ए.आई.केन्द्र	38
		स्वरोजगारी ए.आई.कर्ता	06
13	चम्पावत	राजकीय ए.आई.केन्द्र	21
		स्वरोजगारी ए.आई.कर्ता	03
		बायफ	12

ख. नैसर्गिक अभिजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत सांड़ वितरण का जनपदवार विवरण :

क्रमांक	नाम जनपद	वर्ष	वितरित सांड़		
			गाय	भैंसा	योग
1	देहरादून	2014-15	02	0	02
2	हरिद्वार	2014-15	09	0	09
3	टिहरी	2014-15	0	0	0
4	उत्तरकाशी	2014-15	0	0	0
5	पौड़ी	2014-15	0	0	0
6	रूद्रप्रयाग	2014-15	0	0	0
7	चमोली	2014-15	12	0	12
8	नैनीताल	2014-15	0	0	0
9	अल्मोड़ा	2014-15	0	0	0
10	बागेश्वर	2014-15	1	0	1
11	पिथौरागढ़	2014-15	0	0	0
12	चम्पावत	2014-15	0	0	0

ग. भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम :

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु प्रजनन फार्म कालसी में इस नवीनतम तकनीक का उपयोग करके अभी तक पशु प्रजनन फार्म कालसी पर 125 उच्चतम गुणवत्ता की संततियां उत्पन्न की जा चुकी है। इस दिशा में लगातार सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं तथा 304 रेड सिन्धी नस्ल अतिहिमीकृत भ्रूण तैयार कर इम्ब्रियो बैंक में सुरक्षित किये गये हैं।



उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड
पशुधन भवन, द्वितीय तल (बांयी विंग), मोथरोवाल रोड,
पो0ऑ0 मोथरोवाला, देहरादून —248001,
टेलीफैक्स : (0135), 2532619

एन.पी.सी.बी.बी./एन.पी.बी.बी. योजनान्तर्गत स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता के प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. मूल निवास का पता— ग्राम/समिति :
पो.आ.....विकासखण्ड.....
जनपद : पिन कोड :
5. पत्राचार का पता— ग्राम/समिति :
पो.आ.....विकासखण्ड.....
जनपद : पिन कोड :
6. सम्पर्क हेतु दूरभाष/मोबाइल नम्बर :
7. शैक्षिक योग्यता :

आवेदक का
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम फोटो

क्र.स.	शैक्षिक योग्यता	संस्था/कालेज विश्वविद्यालय का नाम	विषय	श्रेणी	प्रतिशत
1					
2					
3					
4					

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचनाएं सत्य हैं। मैं ₹2000/- अप्रतिदेय (नान रिफन्डेबुल) सहभागी अंशदान के रूप में जमाकर स्वेच्छा से स्वरोजगार सृजन हेतु चार माह का गाय एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान विषयक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ तथा प्राइवेट ए.आई. कार्यकर्ता के रूप में पंजीकरण करने हेतु प्रशिक्षण के उपरान्त यू.एल.डी.बी. के पक्ष में ₹100.00 रुपये का बैंक ड्राफ्ट एवं कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु क्रायोकेन इत्यादि प्राप्त करने हेतु एक सौ रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करने के लिये सहमत/तत्पर हूँ।

दिनांक :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

संलग्न :

1. शैक्षिक तथा अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति
2. मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति

चयन समिति की आख्या व मोहर सहित हस्ताक्षर

1. आवेदक गाय एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान विषयक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु योग्य है, अतएव उसे चार माह का यह प्रशिक्षण देने की संस्तुति की जाती है।
2. प्रशिक्षण उपरान्त आवेदक को(स्थान का नाम) में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करने हेतु इनपुटस वितरण की संस्तुति की जाती है क्योंकि इस स्थान के पांच किलोमीटर की दूरी तक एन.पी.सी.बी.बी. योजना की कोई कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध नहीं है। उक्त स्थान तक वाहन जाने हेतु पक्का मार्ग उपलब्ध है तथा स्थान उत्तराखण्ड राज्य में ही स्थित है और उक्त स्थल तक वाहन जाने-आने हेतु प्रदेश की सीमा पार नहीं करनी होगी।

ग्राम प्रधान

पशु चिकित्साधिकारी

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
सम्बन्धित जनपद

राजकीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

क्र.	जनपद	राजकीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के नाम
1.	देहरादून (DN-001 से)	1. प्रेमनगर 2. पौधा 3. भाऊवाला 4. सेलाकुई 5. सहसपुर 6. जमनीपुर 7. हरबर्टपुर 8. कूँजाग्रांट 9. विकासनगर 10. जीवनगढ़ 11. कालसी 12. पृथ्वीपुरखेड़ा 13. रुद्रपुर 14. ग्राम समूह-अजबपुर 15. सचल पशुचिकित्सालय-प्रथम 16. सचल पशुचिकित्सालय - द्वितीय 17. रायपुर 18. थानों 19. मालदेवता 20. गुजराड़ासरोना 21. मालसी 22. मसूरी 23. गढ़ीकैंट 24. पंडितवाड़ी 25. बट्टीपुर नवादा 26. सुभाषनगर 27. मेहूवाला 28. नयागांवपेलियो 29. शीशमबाड़ा 30. नेहरूग्राम 31. बालावाला 32. दुधली 33. जोईवाला 34. लालतप्पड़ 35. रायवाला 36. श्यामपुर 37. ऋषिकेश 38. रानीपोखरी 39.भानियावाला 40. गुजराड़ा 41. होरावाला 42. बिन्दार 43. कोटी 44. थैना 45. लखवाड़ 46. त्यूनी 47. ववानू 48. चकराता 49. सहिया 50. कालसीप्रक्षेत्र 51. लाखामण्डल 52. सदर पशुचिकित्सालय 53. धारकोट 54. कोटीसावड़ा 55. क्वांसी 56. दसऊ 57. नागथात 58. कौरुआ 59. इटारना 60. समेत 61. भोपालपानी, 62. उम्मेदपुर 63. बुल्लावाला 64. कान्डीईबरम 65. छमरोली 66. राजपुर 67. पजेटलानी 68. सभावाला 69. गारी 70. नरिया 71. एल.ई.ओ. प्रशिक्षण केन्द्र पशुलोक।
2.	हरिद्वार (HR-001 से)	1. हरिद्वार 2. ज्वालापुर 3. बहादुराबाद 4. अलावलपुर (सहदेवपुर) 5. दौलतपुर 6. तेलीवाला 7. मानुवास 8. मेवड़कलां 9. बेलडी 10. रुड़की 11. नैनबाग 12. मंगलौर 13. नारसन 14. लखनौता 15. झबरेड़ा 16. मानकपुर 17. नन्हेड़ा 18. भगवानपुर 19. सिकरौड़ा 20. बुग्गावाला 21. चूड़ियाला 22. श्यामपुर 23. लालढांग 24. फेरुपुर 25. पथरी 26. सुल्तानपुर 27. एंथल 28. लक्सर 29. गोवर्धनपुर 30. खानपुर 31. चन्दपुरी 32. रायसी 33. निरंजनपुर 34. मुण्डलाना 35. खंजरपुर 36. लिबरहेड़ी 37. मुण्डाखेड़ा 38. हबीबपुर नवादा 39. भौरी 40. चोली शाहबुद्दीनपुर 41. पौडीवाली 42. ढनडरा
3.	टिहरी (TG-001 से)	1. मुनी की रेती 2. नरेन्द्रनगर 3. फकोट 4. चम्बा 5. छाम 6. काण्डीखाल (सिराई) 7. नई टिहरी 8. घनसाली 9. डांगचौरा 10. कीर्तिनगर 11. नैनबाग 12. बगवान 13. देवप्रयाग 14. गूलर 15. बछेलीखाल 16. काण्डीखाल 17. हिण्डोलाखाल 18. जाखणीधार 19. गजा 20. कैम्पटी 21. सत्यो 22. पीपलडाली 23. कौड़ियाला 24. लम्बागांव 25. नागनी 26. बड़ियारगड़ 27. विनयखाल 28. मागरो 29. थत्पूड़ 30. कमध 31. पन्तवाड़ी 32. चाका 34. कोटालगांव 35. चमियाला 36. सेन्दी
4.	उत्तरकाशी (UK-001 से)	1. ज्ञानसू 2. मनेरी 3. भटवाड़ी 4. गंगोरी 5. डुण्डा 6. चिनयालीसौड़ 7. बड़कोट 8. नौगांव 9. पुरौला 10. बन्दरकोट 11. स्यालना 12. मुस्तिक्सौड़ 13. हुडोली 14. नैतवाड़ 15. आराकोट 16. रायमेर बडेथ 17. बनचौरा 18. धौंती 19. डांमटा 20. श्री कोट 21. धनारी भटवाड़ी 22. पिपली रजक 23. मोरी 24. उत्तरकाशी सचल 25. स्थानाचट्टी 26. गंगनानी 27. बरनीगाड 28. धूरिया 29. दिचली 30. जखोल 31. साकरी 32. जसपुर 33. बगासू 34. राजगडी 35. सल्द 36. महेशपुरा 37. मानपुर 38. गुनियालगांव 39. सौरा 40. गौशाही 41. फोल्ड 42. बडेटी 43. इन्द्रादिपरी 44. घटवालधार 45. गडोली 46. हर्षिल (झाला)
5.	रुद्रप्रयाग (RP-001 से)	1. रुद्रप्रयाग 2. मयकोटी 3. दुर्गाधार 4. अगस्तमुनी 5. चन्द्रापुरी 6. गुप्तकाशी 7. नारायणकोटी 8. फाटा 9. रामपुर 10. ऊखीमठ 11. रतूडा 12. नगरासू 13. जखोली 14. राउलेख 15. सुमाडी भरदार 16. तिमली 17. सिमली 18. त्वारा 19. पल्दवाड़ी. 20. धौलतीर मरोड़ा 21. देवलधार 22. भीरी 23. चौपडा धारकोट 24. खेडाखाल 25. सतेराखाल
6.	चमोली (CG-001 से)	1. गोचर 2. कर्णप्रयाग 3. मैठाणा 4. नन्दप्रयाग 5. चमोली 6. गोपेश्वर 7. टंगसा 8. पीपलकोटी 9. घाट 10. सिमली 11. आदिबद्री 12. मेहलचौरी 13. गैरसैण 14. थिरपाक 15. नौली 16. नारायणबगड़ 17. लगांसू 18. हरमनी 19. थराली 20. पोखरी 21. त्रिशूला 22. जोशीमठ 23.भरारीसैण 24. नौटी 25. देवाल 27. बछुवाबांग 28.मनसूना 29. लंगसी 30. हेलंग 31. छिनका
7.	पौड़ी (PG-001 से)	1. श्रीनगर 2. पौड़ी 3. डडुवादेवी 4. खान्दुसैण 5. परसुन्डाखाल 6. कोट 7. अगरोड़ा 8. जयहरीखाल 9. अमोठा 10. सतपुली 11. दुगडडा 12. कोटद्वार 13. सनेह 14. सिगडडी 15. कलालघाटी 16. सरोड़ा- मरोड़ा 17. धंडियाल 18. कुन्डलीसैण 19. नैनीडांटा 20. धूमाकोट 21. एकेश्वर 22. रीठाखाल 23. पोखड़ा 24. नौगांवखाल 25. डाडामंडी 26. बीरौखाल 27. फरसाडी 28. थलनदी 29. थलीसैण 30. कल्जीखाल 31. रिखणीखाल 32. काण्डाखाल 33. संगलाकोटी 34. जामलाखाल 35. सबधरखाल 36. चैलूसैण 37. कोटद्वार सचल 38. मोहनचट्टी 39. चमधार 41. दिगोलीखाल 42. बसाड़ा 43. पावो 44. यमकेश्वर 45. बूगीधार 46. द्वारीखाल 47. सल्द महादेव 48. सत्यखाल 49. खिर्सू 50. चिपलघाट 51. सीका 52. चौखाल 53. ग्वाड़ी 55. बहेड़ाखाल 56. चैकीसैण 62. सतपुली 63. बैजरो, 65 देहलचौरी 66. भेती 67.सुला 68. हल्दुखाल 69. मोटाढाक 70. कालागढ़ 71 रामनी .
8.	नैनीताल (NT-001से)	1. लालकुआँ 2. राधानिवाड़ 3. हल्द्वचौड़ 4. मोटाहल्दू 5. गौजाजाली 6. सांगुणीगांव 7. देवलचौड़ 8. करायल 9. हल्द्वानी 10. नरसिंह तल्ला 11. लौहरियासाल 12. फतेहपुर 13. लामाचौड़ 14. देगीपुरा 15.कालादूगी 16. बजूनियाहल्दू 17. कोटाबाग 18. कर्मोला 19. धमोला 20. बैलपडाव 21. छोई 22. रामनगर 23. सेमलखलिया 24. नरसिंहपुर 25. पीरुमडावा 26. खेड़ा 27. कुवरपुर 28. किशनपुर 29. दौलाबाजपुर 30. लछमपुर 31. जस्सागांजा 32. सावल्दे 33. मालधनचौड़ 34. हल्दुआ 35. रानीबाग 36. भीमताल 37. नौलाधारा 38. महारागांव 39. भवाली 40. रातीघाट 41. खेरना 42. गेठिया 43. नैनीताल 44. खुरपाताल 45. मंगोली 46. ज्योलीकोट 47. बेतालघाट 48. चोरगलिया 49. दौलतपुर 50. बल्दियाखान 51. बिन्दुखत्ता 52. रामगढ़ 53. सुयालबाड़ी 54. धारी 55. ओखलकांडा 56. चौखुटा 57. पवलगढ़ 58. डिकुली 59. पहाड़पानी 60. चौफी 61. डोलीगांव 62. दमुवाढूंगा 63. सलडी 64. सूर्यागांव 65. च्यूरीगाड 66. पदमपुरी 67. आदर्शनगर (बिन्दूखत्ता) 68. चलखनिया 69. कालागार 70. नाई 71. सुरनाड 72. तल्ली पोभरी 73. गरगडी 74. सुन्दरखाल 75. कूल 76. दयालगांव 77. रीठा 78. घूना 79. रिखोली 80. हरचनौली 81. कलालखेत 82. अमगडी 83. अगोठा 84. कुलखेत 85. जगलियागांव 86. जंतवाल धुरा 87. रौसिल 88. नौलाधार 89. हेडाखान 90. बन्ना 91. दयारी 92. बसौनी 93. ऊंचाकोट 94. सिमलकखा 95. पाटकोट 98. गरगोली 99. मोंणा 100. बरढोड 101. बीरखत्ता 103. सांपकठानी 104. पीपल पडाव 105. डोन परेवा 106. हरतपा 107. धनियाकोट 108. सिलटोना
9.	ऊधम सिंह नगर (US-001 से)	1. जसपुर 2. आसपुर 3. बढियोवाला 4. पतरामपुर 5. रामनगरवन (निवारमंडी) 6. महुआडाबरा 7. तालबपुर 8. करनपुर 9. लालपुर 10. गढ़ीनेगी 11. बेतवाला 12. काशीपुर ग्रा.स. 13. कुंडेश्वरी 14. वधेलेवाला 15. शिवराजपुर पट्टी 16. ढकिया 17. बोंसखेड़ा(मानपुर) 18. प्रतापपुर (काशीपुर) 19. जुड़का 20. गुलजारपुर 21. महुवाखेड़ागंज 22. बरखेड़ा पाण्डे 23. बरखेडी 24. बाजपुर 25. नमूना 26. संतोषपुर 27. भजवानगला 28. धूरिया 29. गांवबाजपुर 30. किलाखेड़ा 31. बेरिया दौलत 32. सरकडी 33. खेमपुर 34. चन्दनपुरा 35. सुल्तानपुर पट्टी 36. महेशपुरा 37. लुधपुरा 38. परमान्दपुर 39. बन्नाखेड़ा 40. रैटा 41. जोगीपुरा 42. गदरपुर 43. सकैनिया 44. फतेहगंज(मसीत) 45. आदर्शनगर 46. गुलरभोज 47. बिशनपुर 48. दिनेशपुर 49. कालीनगर 50. जाफरपुर 51. धिमरी ब्लाक 52. रुद्रपुर 53. बगवाड़ा 54. भगवानपुर 55. छतरपुर 56. सचल पशुचिकित्सालय (रुद्रपुर) 57. रामेश्वरपुर 58. मल्सा 59. आनन्दपुर 60. प्रतापपुर (रुद्रपुर) 61. गंगापुर 62. किच्छा 63. देवरिया 64. मिलक 65. गिधपुरी 66. बरा 67. सेमलपुरा 68. बब्बरपुर 69. शान्तिपुरी न. 2 70. शान्तिपुरी न.4 71. सितारगंज 72. बिजटी 73. मैनाझुन्डी 74. सिसौना 75. सिसैया 76. शक्तिपुरा 77. रतनफार्म न.2 78. बसगर(तिलियापुर) 79. पडागांव(पांच क्वार्टर) 80. नानकमत्ता 81. बरखेड़ा 82. बिडोरा 83. लामाखेड़ा 84. कैथुलिया 85. खटीमा 86. कंचनपुरी 87. नौसर 88. अशोकमार्ग 89. चकरपुर 90. झनकट 91. प्रतापपुर(खटीमा) 92. दिया 93. श्रीपुरविचका 94. कनकपुर 95. खडगपुर 96. गोकुलनगर 97.बग्गाचौहवन

10.	अल्मोड़ा (AM – 001 सं)	1. अल्मोड़ा 2. नारायण तिवारी देवाल(एन.टी.डी.) 3. चितई 4. दौलाघट 5. सोमेश्वर 6. धौनीगाड़ 7. मनान 8. चनौदा 9. कपड़खान 10. दिगौत 11. खड़पतया 12. रामपुर 13. भगौती 14. बसौली 15. ताड़ीखेत 16. रानीखेत 17. अभ्याड़ी 18. पिलखोली 19. सौनी 20. चौकनी 21. खिरखेत 22. गंगोड़ा 23. द्वाराहाट 24. मजखाली 25. बग्वालीपोखर 26. मासी 27. कालीखोली 28. महाकालेश्वर 29. चौखुटिया 30. कुवाली 31. जालली 32. भिकियासैण 33. नौला 34. सिनौड़ा 35. भतरोजखान 36. धौलादेवी 37. पनवानौला 38. दनिया 39. घ्याड़ी 40. बाड़ेछीना 41. लमगड़ा 42. चायखान 43. पौधार 44. जैती 45. शहरफाटक 46. हवालबाग 47. भगतोला 48. पारकोट 49. छानागोलू 50. पातलीबगड़ 51. कफड़ा 52. जागेश्वर 53. खेरदा 54. मोतियापाथर 55. सिलोर महादेव 56. गुणादित्य 57. भनोली 58. लोधिया 59. सल्ट 60. मनीला 61. स्यालदे 62. चोनलिया 63. द्रोणागिरी 64. चोपाता 65. धौलछीना 66. बमस्यू 67. मोलेखाल 68. विशालकोट 69. धामस 70. सुरईखेत 71. 72. मछोड़ 73. बसौट 74. जौरासी 75. देघाट 76. तौरचौड़ा 77. सगनेटी 78. बिमोला 79. सांकर 80. ममेडछीना 81. भैसियाडगांव 82. बडियारबिष्ट 83. सगोटी-11 84. ककड़ीघाट 85. विनायक 86. भानखाल 87. टुकरा, 88. कौलदौडम, 89. सेराघाट
11.	बागेश्वर (BG-001 सं)	1. बागेश्वर 2. भटकोला 3. काफलीगैर 4. गरुड़ 5. कन्धार 6. वज्यूला 7. सीर 8. पाटली 9. डंगोली 10. गोलना 11. कान्डा 12. कपकोट 13. लिती 14. देवोनाई 15. बोहाला 16. चौरा 17. शामा 18. जखेडा 19. सौंग 20. होराली 21. कमेडीदेवी
12.	पिथौरागढ़ (PR – 001 सं)	1. पिथौरागढ़ 2. बिण 3. जाखपुरान 4. गुरना 5. मूनाकोट 6. मरसौली 7. शातशिलिंग 8. गोड़ीहाट 9. झूलाघाट 10. कनालीछीना 11. देवलथल 12. असकोट 13. डीडीहाट 14. थल 15. बेरीनाग 16. जयनगर 17. धारचूला 18. बलुआकोट 19. मुनस्यारी 20. नाचनी 21. गंगोलीहाट 22. गणाई 23. तेजम 24. वडावे 25. नैनीसैनी 26. भागीचौरा 27. चहज 28. राममन्दिर 29. खेतार (पांखू) 30. मुवानी 31. चौबटी 32. जौलजीवी 33. बरम 34. जौरासी 35. हचीला 36. पिपली 37. बनकोट 38. खेत 39. मदकोट 40. पांखू 41. गडकोट 42. झूलाघाट 43. पडवाधार 44. मडमानले
13.	चम्पावत (CP-001 सं)	1. चम्पावत 2. बनलेख 3. उजोलीकोट 4. लोहाघाट 5. कर्णकरायत 6. खतेड़ा 7. पुलहिण्डोला 8. बाराकोट 9. पाटी 10. देवीधुरा 11. खेतीखान 12. बनबसा 13. टनकपुर 14. सूखीढांग 15. चलथी 16. जोस्यूड़ा 17. भिंगराड़ा 18. रौसाल 19. चमदेवल 20. स्वाला 21. तामली 22. सिपटी 23. मांची 24. चौरा मेहता 25. नरियाल गांव 26. नरिंग टान्डा 27. बरडाखान 28. रेगडू।

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत प्राइवेट ए.आई. कार्यकर्ता

देहरादून (DN-501 सं)	1. यादराम सिंह (ऋषिनगर) 2. सतीश बिजलवाण 3. ऊषा पंवार 4. संदीप केसरवाल 5. संजय कुमार सोलंकी 6. जगदीश प्रसाद पाण्डेय 7. दिनेश चन्द्र बेलवाल 8. डा. अमरदीप सिंह 9. द्वारिका प्रसाद बहुगुणा 10. रविन्द्र सिंह भण्डारी (वीर पुर खुर्द) 11. रण कुमार आर्य 12. धर्मेन्द्र सिंह 13. धनेश्वर प्रसाद नैथानी 14. मिलिटी डेयरी फार्म 15. अर्जुन सिंह 16. महेन्द्र सिंह थापा 17. नवनीत सिंह (इन्द्रानगर) 18. श्री रमेश सिंह (बुल्लावाला), 19. सविता बिष्ट (रानीपोखरी), 20. कुलवीर सिंह (डिफेन्स कालोनी) 21. श्री अनिल पती त्रिपाठी (गुमानावाला) 22. रवीश कुमार (रामबाग) 23. श्री आवेश कुमार (शिवलोक) 24. श्री मुकेश कुमार 25. लोकेश कुमार (संझावाला) 26. वीरेन्द्र सिंह (शेरकी) 27. श्री विनोद रावत (चकजोगीवाला) 28. श्री विक्रम सिंह चौहान (खादर) 29. श्री देवेन्द्र सिंह रावत (विशानगढ़) 30. श्री अनिल कुमार(फतेहपुर) 31. श्रीमती पूनम (सौड़ा सिरौली) 32. श्री सोन पंवार (शिधौली) 33. श्री प्रेम सिंह (सिमलास) 34. श्री सुरेन्द्र शर्मा (मोहकमपुर) 35. श्री सन्दीप कुमार (भारुवाला) 36. श्री बालम सिंह अधिकारी (तेलपुरा) 37. श्री चतर सिंह (ठलिन) 38. श्री मनोज सिंह (मथेऊ) 39. श्री ऋषिपाल शर्मा (तुनोवाला) 40. श्री कालूराम (दोड़वाला) 41. श्री कैलाश चन्द्र (मसरज) 42. श्री संजय सिंह (विजऊ) 43. श्री महेशदात्त (सोरना) 44. श्री केशर सिंह (वैसोकलाणी) 45. श्री खुशहाल सिंह भण्डारी (बंजारावाला) 46. श्री संजीव सिंह रावत (मारसी) 47. श्री धीरेन्द्र सिंह रावत (बागी) 48. श्री सुभाष चन्द्र सिंह (सुल्तानपुर) 49. श्री रमेश सिंह (कुंआवाला) 50. भगत सिंह (ड्यूडीलानी) 51. प्रीतम सिंह(क्येशी) 52. अनिल नेगी (द्वारा) 53. राज त्यागी (अखण्डवानी) 54. बलविन्दर (झाझरा) 55. मल्लूराम (छिबरी) 56. श्री अमित इश्टवाल (कुंआवाला) 57. श्री राजेन्द्र सिंह (मगरौली) 58. श्री घनश्याम (मानकी) 59. श्री गुलाब सिंह नेगी (काटल) 60. श्री सुरेश चन्द्र (नाहड) 61. श्री सुदेश कुमार (जोलीग्रान्त) 62. श्री कुलदीप सिंह (जूलो)
हरिद्वार (HR-501 सं)	1. परमाल सिंह चौहान (शाहपुर) 2. रामपाल सिंह (लिब्वरहेड़ी) 3. प्रदीप कुमार (निजामपुर) 4. लक्ष्मीकान्त चौहान 5. सुशील कुमार (भिकमपुर) 6. निरगेश कुमार सैनी (ढन्डेर) 7. प्रवीण कुमार 8. संजीव कुमार (उदलहेड़ी) 9. प्रमोद कुमार 10. अक्षय चौहान 11. आकाश कुमार 12. संजीव कुमार (तेलपुरा) 13. सुन्दर लाल 14. अशोक कुमार सैनी (हसनपुर) 15. ब्रज पाल सिंह सैनी (रावली) 16. मुकेश कुमार सैनी (संगड़वाला) 17. अतुल बिष्ट (गेंडीखाली) 18. पंकज रोड (भंगेड़ी) 19. सुशील कुमार सैनी (शाहपुर) 20. पपन सिंह (कुरडी) 21. कमलेश कुमार गुप्ता (शिवालिक नगर) 22. कुंवर पाल (खानपुर) 23. प्रदीप कुमार शर्मा (डोसनी) 24. आदिल हसन (सुल्तानपुर) 25. जयकुमार (बालपुर) 26. बिजेन्द्र गिरी (राजपुर) 27. अजयवीर सिंह (पीलीपडाव) 28. श्री गुल मोहम्मद (लाटरदेवा शेख) 29. मदनपाल सिंह (बालपुर) 30. विवेक नेगी (गेंडीखाली) 31. श्री मोहित कुमार(ब्रहमपुरजट) 32. श्री अनिल कुमार(इकवालपुर) 33. श्री रामनाथ(झेंडीयान ग्रट) 34. श्री कुलवीर सिंह(गुम्मावाला) 35. श्री शीतल चन्द्र (मसौहाकला) 36. श्री कुंवर पाल सिंह (सादौली) 37. श्री जनेश्वर प्रसाद (सहदेवपुर) 38. डा. राजेश कुमार 39. श्री योगेन्द्र कुमार (अन्नेकी हिम्मतपुर) 40. श्री सुधीर कुमार सैनी (थिथकी) 41. श्री सन्दीप कुमार (उल्हेडा) 42. श्री मनोज कुमार (दाबकीकला) 43. श्री विनोद कुमार (भौरी) 44. श्री उमेश कुमार गिरी (तांशीपुर) 45. श्री जयचन्द्र सैनी (टोडा कल्याणपुर) 46. श्री मुल्की राज (हद्दीपुर) 47. श्री साधुराम सैनी (किशनपुर) 48. श्री विजेन्द्र कुमार (बादशाहपुर) 49. श्री संजय कुमार (भौवापुर) 50. श्री कविसर सिंह (कुड़ी भगवानपुर) 51. श्री सतीश कुमार (पूघना) 52. श्री अनिल कुमार (पोडावली) 53. श्री कुलदीप सिंह राणा (मुण्डाखेडा कला) 54. श्री मुनेश कुमार सिंह (अजीतपुर) 55. श्री कृष्ण पाल (प्रहलादपुर) 56. श्री मुकेश कुमार (देहलना) 57. श्री अनूप कुमार सैनी (मरगूबपुर) 58. श्री अंकित कुमार सैनी (डांडा जलालपुर) 59. श्री आवेश कुमार (बहादरपुर) पूर्व में DN-523 60. श्री प्रवीण कुमार 61. श्री राज सिंह (साबतवाली) 62. श्री रविन्द्र कुमार (अलावलपुर) 63. श्री कमलेश कुमार (मच्छरहेड़ी) 64. श्री दिनेश कुमार (बन्दरजुड़) 65. श्री गजेन्द्र कुमार (बाखपुर) 66. श्री विपिन कुमार (शिवालिक नगर) 67. श्री भोलू (डेरियो) 68. श्री अरविन्द्र कुमार (अकबरपुर) 69. श्री अलीश शर्मा (डालुवाला) 70. श्री अजीत सिंह (कांगड़ी) 71. श्री योगेन्द्र कुमार (मिर्जापुर) 72. श्री प्रदीप कुमार (दलावाला) 73. श्री अमित कुमार (बुफकनपुर) 74. श्री अरविन्द्र कुमार (गंगदासपुर) 75. श्री विपिन कुमार (तेजपुर) 76. श्री विकास कुमार (नारसनकला) 77. श्री राजेश कुमार (मुन्याकी) 78. श्री बिशन सिंह 79. श्री राम कुमार (नन्दपुर) 80. श्री विनेश कुमार (मानक माजरा) 81. श्री जितेन्द्र कुमार (डांडेकी) 82. श्री नरेश कुमार (सिकन्दरपुर) 83. श्री दिलावर सिंह (कानावाली) 84. श्री भव सिंह (हिशमपुर) 85. श्री अमित कुमार (खेड़ापुर) 86. श्री चरण सिंह (सेटपुर) 87. श्री रमेश चन्द्र (सोसाइटी खुर्द) 88. श्री दिलीप कुमार शर्मा (बुजगांव) 89. श्री अमित कुमार (बिनारसी) 90. श्री नरेश कुमार (लामग्रान्त) 91. श्री विपिन कुमार सैनी (टाटवाला)
टिहरी (TG-501 सं)	1. हरिस्वरूप गैरोला 2. श्री रामेश्वर प्रसाद भट्ट (महड) 3. श्री कीर्ति सिंह (टकोली) 4. श्री कुलदीप सिंह मिया (मालूपानी) 5. सुशील ममता (टकोली) 6. श्रीमती उषा देवी (पैलगांव) 7. श्री विजय सिंह चौहान (वागी) 8. श्री अनिल कुमार (झंग) 9. श्री केशवानन्द (चोपडियालगांव) 10. श्री दिनेश कुमार (दुआधार) 11. श्री महावीर प्रसाद (उनियालगांव) 12. श्री रमेश दत्त नौटियाल 13. श्री दीपक रावत (ताछला) 14. श्री कैलाश (रतौली) 15. कु. सरिता चौहान (थौलधार) 16. श्री जसपाल सिंह नेगी (कणाताल) 17. श्री विजय लाल भट्ट (जडीपानी) 18. श्री विनीत पंवार (अंजनीसैण) 19. श्री उत्तम लाल (रणसौलीधार) 20. श्री काशीराम (रानीचौरी) 21. श्री विवेकानन्द (बादशाहीथौल) 22. श्री वीरेन्द्र सिंह गुसाई (रानीगांग) 23. श्री जयवीर सिंह राणा (सुलु) 24. कु. ललिता सजवाण (बयणगांव) 25. श्री रवीन्द्र सिंह रावत (भरपुर) 26. कु. सीता रावत (मेन्तालाखाल) 27. कु. बबीता (आमणी) 28. श्री चन्द्रवीर सिंह (मेन्तालाखाल) 29. श्री वीरेन्द्र सिंह रावत (पन्तवाड़ी) 30. श्री नरेश प्रसाद सेमवाल (भौगी) 31. श्री सुरेन्द्र नौटियाल (बगलौरीकांडी) 32. श्री संजय सिंह (गडयारा) 33. श्री राजेश सिंह (तलेवन) 34. श्री जीत सिंह (छेली) 35. श्री विजय पाल सिंह पंवार (टिकरी) 36. श्री रमेश सिंह नेगी (नागेश्वर सौंड) 37. श्री महेश चन्द्र रतूडी (धैरको) 38. श्रीमती भाग्यवती देवी (सोड़पानी) 39. श्री सुरेश कुमार (मेनगी) 40. श्री होशियार सिंह चौहान (जामनीखाल) 41. श्री राकेश सिंह पंवार (चमियाला) 42. श्री मुकेश सिंह राणा (सड़ब) 43. श्री महिताब सिंह (गौना) 44. श्री पुरुषोत्तम दत्त कैरवार (मैगाधार) 45. श्री रमेश सिंह (तमियार) 46. श्री मुकेश बहुगुणा (रानीचौरी) 47. श्री मदन लाल (भिन्ना) 48. श्री वेद प्रकाश (रौण्या) 49. श्री गणेश प्रसाद (कुमराड़ा) 50. श्री कुलदीप सिंह (मैगाधार) 51. अनिल कुमार (चमोलगांव) 52. सुनील कुमार (बोंगा) 53. रविन्द्र सिंह (किरगड़ी) 54. राजेश तिवारी (सुनेरीगाड़) 55. संदीप सिंह (छुलानाखाल) 56. रामपाल सिंह (देवर) 57. दीपक कुमार (डुआधार) 58. सुरेशलाल (मुयालगांव) 59. गिरवीर (धौलंगी) 60. विनोद कुमार, (पीपलखाली), 61. राकेश कुमार (दुड़डा) 62. मनोज (मटकोट) 63. प्रदीप (कुमसोला) 64. मुकेश सिंह (डोबरी) 65. श्री गुलाब सिंह (काण्डा रैंका पट्टी) 66. श्री अरविन्द्र चमोली (काण्डोखाल) 67. श्री शोकन लाल (केपास) 68. श्री सुभाष बडोनी (पोखाल) 69. श्री राजेश सिंह (नागेश्वर सौंड) 70. नरेन्द्र सिंह (कुटटा) 71. शैलेन्द्र सिंह (बालमा) 72. श्री राजेश रावत (पांगरखाल) 73. अरविन्द्र रावत 74. श्री राकेश सिंह(पिल्खी) 75. श्री सुखदेव सिंह (कोलधार चामी)
रुद्रप्रयाग (RP-501 सं)	1. दिनेश प्रसाद थपलियाल (तैलाधार) 2. भूपिन्दर कुमार 3. जसपाल सिंह बिष्ट (मनसूना) 4. जगदम्बा प्रसाद भट्ट (दुर्गानगर) 5. बलवीर सिंह नेगी (देडा) 6. श्री बौरबल सिंह (फाफंज) 7. श्री सते सिंह (नारायणकोटी) 8. श्री सतेन्द्र कुमार (तिलवाड़ा) 9. श्री पुरुषोत्तम कुमार (नारायणकोटी) 10. श्री सतवीर सिंह नेगी 11. श्री जीतेन्द्र सिंह (बसुकेदार) 12. श्री सुनोज सिंह (भीरी) 13. श्री नरेन्द्र सिंह (तुनेठा) 14. श्री दीपक नौटियाल 15. श्रीमती संतोषी भण्डारी (तुनेठा) 16. श्रीमती मधुदेवी भण्डारी (गंगानगर) 17. श्रीमती सुरजी देवी (विनोधार) 18. श्रीमती सुधाश्याम (डडोली) 19. श्री उदय सिंह राणा (चोपाता) 20. श्री राजेन्द्र सिंह राणा (गडीधार) 21. श्री त्रिलोक सिंह (चन्द्रनगर) 22. श्री कुंवर सिंह (सारी) 23. श्री प्रमोद सिंह (घोलतीर) 24. श्री जयवीर सिंह (बुटोलगांव) 25. श्री सुरेश सिंह (चोपाता) 26. संदीप सिंह (धिमतौली) 27. विनोद सिंह (खडपतिया) 28. निमल चौधरी (भीरी) 29. मनरी लाल(भडज) 30. संदीप सिंह (चमराड़ा) 31. लखपत सिंह (तालजामकोटी) 32. मोहन सिंह (पुनेठा) 33. रश्मि (डमार) 34. तेजेन्द्र सिंह (बावई) 35. राकेश सिंह (कोरमा) 36. सतवीर सिंह (ताला) 37. चन्द्रप्रकाश सिंह (धिमतौली) 38. श्री महेश चन्द्र (चोपाता) 39. श्री सन्दीप प्रसाद थपलियाल (सिल्ला) 40. श्री विपिन चन्द्र (जाखाल)

<p>पंजी (PG-501 से)</p>	<p>1. दीपक सिंह रावत 2. जगदीश प्रसाद खन्तवाल 3. संजय कुमार 4. इन्द्रभूषण हटवाल 5. प्रेम सिंह 6. कमल सिंह 7. आशीष मोहन 8. शिवचरण 9. उम्मेद सिंह 10. रविन्द्र सिंह 11. धर्मानन्द भट्ट (पदमपुर) 12. राजकुमार 13 श्री राजमोहन नेगी 14 श्री ताजबर सिंह नेगी (क्याद) 15 श्री विपिन कण्डवाल (काण्डखाल) 16 श्री गणेश प्रसाद (हनुमन्ती) 17 श्री मनमोहन सिंह (खालू) 18 श्री ललित सिंह 19 श्री अजय सिंह 20 श्री नीरज खन्तवाल 21 श्री विजयपाल सिंह 22 श्री दिनेश सिंह 23 श्री रमेश सिंह 24 श्री सुरेश कण्डवाल (स्वर्गाश्रम) 25 श्री भगतती प्रसाद 26 श्रीमती संगीता देवी (मलेथा) 27 श्री जसपाल सिंह (मरखोडा) 28 श्री दिनेश सिंह (परस्लीखाल) 29. श्री देवेन्द्र सिंह नेगी (गवणा) 30. श्री संतोष कुमार सिंह (धारकोट) 31. श्री विजेन्द्र सिंह (छाटीखाल) 32. जय सिंह (खाडासैण) 34. त्रिवेणी सिंह (दिउसा) 35. ताजवर सिंह (जिखेटी) 36. कृष्णचन्द्र (चौबटाखाल) 37. पंकज (गडरी) 38. राजेन्द्र (अमोला) 39. वीरेन्द्र (बल्ली), 40. वीरेन्द्र (रिस्वाली) 41. श्री भरोसा सिंह (सार) 42. श्री अशोक कुमार गौड (वनन्यूरी) 43. श्री सतेन्द्र कुमार (काण्डायणी) 44. अजेन्द्र सिंह (धारकोट) 45. श्री मुकेश कुमार (रुन्धीखाल) 46. श्री लक्ष्मण सिंह (रघुआदाव) 47. श्री सोहन लाल (लुडिया) 48. चन्दन सिंह (जहरी) 49. श्री रविन्द्र सिंह 50. श्री सतेन्द्र सिंह (आमसोड) 51. श्री अनिल बहुणा 52 सन्दीप सिंह (कुम्भीचौड)</p>
<p>चमोली (CG- 501 से)</p>	<p>1. दर्शन सिंह चौहान 2. हरेन्द्र सिंह लडौला 3. जसपाल सिंह नेगी (बरसोल) 4. राकेश सिंह बिष्ट (दुशालगांव) 5. भूपाल सिंह नेगी (थराली) 6. हिम्मत सिंह (सिमली) 7. जसपाल सिंह कण्डारी (नारायणगड) 8. रमेश चन्द्रा (कुलसारी) 9. श्री प्रदीप सिंह तोपाल(फलोटा) 10. श्री सुदर्शन सिंह तोपाल (फलेटा) 11 श्री विक्रम सिंह कण्डवाल (कनखुल) 12 श्री चन्द्रशेखर (लंगसी) 13 श्री दीपक सिंह बिष्ट (गवाड़) 14 श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट (अनुसुइया) 15 श्री नागेन्द्र सिंह नेगी (उर्गम) 16 श्री पंकज चन्दोला (धनेटी) 17 श्री लक्ष्मण सिंह (बगोली) 18 श्री लखपत सिंह (बिष्पूला) 19 श्री नकुल प्रियदर्शी (सगर) 20 श्री अनूप कठैत (नगली) 21 श्री नरेन्द्र सिंह रावत (माईकान) 22 श्री सुरेन्द्र सिंह खत्री 23 श्री देवेन्द्र सिंह रावत (कुरुडू) 24 श्री जसपाल सिंह बिष्ट (सीलत) 25 श्री चन्द्र सिंह (टैटुडा) 26 श्री लक्ष्मण सिंह नेगी (मलकोट) 27 श्री पुष्कर सिंह (धामदेव) 28 श्री दिगम्बर सिंह (गवाड़तला) 29 श्रीमती गोदान्वरी देवी (लोलटी) 30 श्री ईश्वर सिंह (मलसों) 31 श्री ललिता प्रसाद (खण्डूरी कालोनी) 32. विजय सिंह बिष्ट (मेल्टा) 33.श्री सदीप सिंह (गवाई) 34. श्री नारायण सिंह (नलगांव) 35. श्री प्रेमबल्लम (देवखाल) 36. श्री जयप्रकाश (सुनाली) 37. श्री जसवन्त सिंह (पीपलकोटि) 38. श्री प्रकाश कुमार (सुनाली) 39. श्री हरीश चन्द्र कुनियाल (देवाल) 40. पुष्कर (मण्डल) 41. नरेन्द्र सिंह (लोली) 42. हीरा सिंह (कालीमाटी) 43. देवेन्द्र सिंह (चांदनीखाल) 44. मातबर सिंह (ब्यारा) 45. शरद सिंह (सारी गवाड़) 46. कुलदीप सिंह (खेती) 47. सुरेन्द्र सिंह (मलतूरा) 48. दर्शन सिंह (धिंघराण) 49. हरेन्द्र सिंह (हाट कल्याणी) 50. राकेश सिंह (आथाली) 51. नरेन्द्र लाल (फिलोडी) 52. कुलदीप सिंह (सिदौली) 53. अब्बल सिंह (लाखी) 54. वीरेन्द्र सिंह (काण्डई) 55. अनूप सिंह (रंडुवा, चांदनीखाल) 56. खुशाल सिंह (बांसबाडा सेरा) 57. संजीत सिंह (लंगसी, तपोवन), 58. लक्ष्मी (मटई) 59. धीरज (सितौडा) 60. श्री मुकेश सिंह (पुडियाणी) 61. श्री अशोक सिंह (सिलनी) 62. श्री अरविन्द्र सिंह (हेलंग) 63. हरेन्द्र सिंह पंवार (बगोली) 64.श्री योगान्तर सिंह (घुडसाल) 65. श्री सावन कुमार (सरतोली) 66. श्री विपिन चन्द्र (कुंजी मैकोट) 67. श्री विजय कुमार (गवाड़ देवलधार) 68.श्री भरत प्रसाद (लाटूसैण) 69. श्री कृष्ण चन्द्र (नन्दासैण) 70. श्रीमती अंजना देवी (चटवा पीपल) 71.श्री संतोष कुमार (चेपडो) 72.श्री बलवीर सिंह(दुगडुडा) 73. श्री रघुनाथ सिंह (पुनोगाड) 74.श्री दिगपाल सिंह(गंगोल गांव) 75. श्री पंकज सिंह(कुजांड मैकोट)</p>
<p>उत्तरकाशी (UK-501 से)</p>	<p>1 श्री विक्रम सिंह नेगी (धौतरी) 2 श्री भगवान सिंह राणा (नलूनारव्यावा) 3 श्री धमेन्द्र सिंह भण्डारी (मानपुर) 4 श्री धमेन्द्र सिंह पंवार (सिंगुणी) 5 श्रीमती बासु केन्तुरा (चिन्वलीसोड) 6 श्री हर्देव सिंह (सुनाराछानी) 7 श्री सुनील कुमार (कालसी) 8 श्री संजय कुमार (तुनाल्का) 9 श्री रामराज सिंह (टिपरदासगी) 10 श्री गणेश प्रसाद भट्ट (सिलक्यारा) 11 श्री अतोल सिंह (पनोथ) 12 श्री संजय कुमार (गडोली) 13 श्री प्रवीण कुमार (थानकी) 14 श्री सुरेन्द्र दत्त (धारासूबैंड) 15 श्री विजय प्रसाद (अल्वावला) 16. श्री जगत सिंह (मेराना) 17. श्री कुलवीर सिंह (छोटीमनी) 18. श्री प्रद्युम्न सिंह पंवार (सैज) 19. श्री केशवानन्द डोमाल (धारी) 20. श्री भागमल (मानी) 21. इन्द्रपाल सिंह (बीन) 22. श्री उत्तम चन्द्र (गंगताडी) 23. श्री श्री दिनेश प्रसाद (मान्डो) 24. श्री डब्लु सिंह (कमठ) 25. श्री सुमेर सिंह (ब्रहमखाल) 26. श्री दर्शन सिंह (मोरी) 27. श्री राकेश (सलक्यारा) 28. श्री धन राज सिंह (ब्रहमखाल) 29. श्री शैलेन्द्र प्रसाद (कल्याणी) 30. श्री केशवानंद नौटियाल (जगडगांव) 31. अनिल (बरनोगाड) 32. कमलेश सिंह (तिलोकी) 33. संतोष नौटियाल (ज्ञानज) 34. शीशपाल सिंह (निसमौर) 35. कृ० लता भण्डारी (सैज) 36. अरविन्द्र सिंह असवाल (थाली) 37. मुकेश सिंह (रातलधार) 38. रमेश लाल (सौखान गांव) 39. दिनेश प्रसाद नौटियाल (खुरमोला) 40. अजीत चन्द्र (गंगावा) 41. राजेन्द्र सिंह (बडेथी) 42. सुमन बर्तवाल (खरवां चांदपुर) 43. विशन सिंह (मथोली) 44. पंकज उनियाल (पुजारगांव) 45. जसपाल सिंह (गातू) 46. मोहन कुमार (पाणीगांव) 47. दिनेश (आराकोट) 48. श्री महिपाल सिंह (संगम चट्टी) 49. श्री भुवनेश्वर भट्ट(माण्डौ) 50. श्री जयगीर सिंह (ओसला) 51.श्री राजकुमार सिंह (हर्षिल) 52.श्री राजेन्द्र डिमरी (लारा) 53. श्री रामनिवास सेमवाल (मजगांव) 54. श्री सोहन सिंह 55.श्री मदनलाल 56.श्री नत्थी सिंह 57. श्री यशवन्त सिंह रावत 58. श्री विजेन्द्र सिंह 59.श्री आशीष राणा (वनीगाड) 60.श्री गजेन्द्र सिंह (सरनौल) 61.श्री पंकज रावत (हनुमानचट्टी)</p>
<p>ऊधम सिंह नगर (US-501 से)</p>	<p>1. जसवन्त सिंह 2. मनमोहन सिंह 3. रवीन्द्रनाथ सिंह 4. रोहित कुमार 5. पुष्पेन्द्र कुमार 6. पंकज कुमार 7. हरदीप सिंह 8. इन्द्र शेखर 9. कुलदीप कुमार 10. धर्मपाल सिंह 11. यशपाल सिंह 12. भुवन चन्द्र पाठक 13. गंगा सागर 14. चन्द्र प्रकाश 15. राजकुमार शर्मा 16. रवि कुमार 17. दलजीत पाल सिंह 18. मनोहर सिंह 19. यशपाल सिंह 20. रमेश गोस्वामी 21. पंकज पंवार 22. गोपाल दत्त पाण्डे 23. मुख्तियार सिंह सन्धू 24. अजय कुमार 25.बलराम सिंह 26. कुमारी धनेश कोरंगा 27. कुमारी रूकसाना 28. देवेन्द्र सिंह 29. अरविन्द्र कुमार 30. शिवराज सिंह 31. राम नारायण सिंह 32. राकेश कुमार 33. प्रदीप सिंह 34. दयाराम 35. पंकज कुमार 36. महेन्द्र सिंह चौहान 37. यशपाल सिंह चौहान 38. गंगा सिंह कोरंगा 39. दिनेशसिंह 40. डा. सुरेश पाल 41 डा. उगेन्द्र कुमार अथैया (हल्दी) 42 शमशेर सिंह कन्याल (बधानासर) 43 इन्द्रसिंह कन्याल (मलई) 44 बलदेव सिंह (कोशारतन) 45 ताजिन्द्र सिंह (बरहैनी) 46 सुखजीत सिंह (गंगापुर) 47 ललितमोहन भट्ट (बनकटिया) 48 इन्द्रसिंह (श्यामनगर) 49 प्रदीप कुमार (कण्डेश्वरी) 50 हिम्मत सिंह (बग्घा) 51 सुखदेव सिंह(तालबपुर III) 52 सतनाम सिंह (नारायणपुर) 53 मलकीत सिंह (शिवपुरी) 54 मंजीत सिंह (बगवाडा) 55 सुन्दर सिंह (किशनपुर) 56 रामदत्त शर्मा (कचनल गोसाई) 57 श्री अन्वुल कुमार (पतरामपुर) 58 श्री श्यामसिंह (जयनगर-3) 59 श्री देव सिंह राणा (रोशनपुर) 60 श्री छत्रपाल सिंह (कटैया) 61 श्री गुरमोहन सिंह (प्रतापपुर-4) 62 श्री सुधेश कुमार (बीरपुरी) 63 श्री बृजपाल सिंह (सकैनिया) 64 श्री ब्रिजपाल सिंह (महोली जंगल) 65 श्री दीपक कुमार (मानकपुर) 66 श्री श्यामसिंह कार्का (नगला) 67 श्री सुच्चा सिंह (जगरोला) 68 श्री तेजपाल सिंह 69 श्री गोविन्द सिंह बोरा (अमरुकला) 70. श्री गुरजीत सिंह (इटवा) 71 श्री हरप्रसाद 72 श्री दिनेश चन्द्र राणा 73 श्री जीवन सिंह मटियाली 74 श्री सुन्दर सिंह राणा 75 श्री सुन्दर सिंह राणा 76 श्री प्रेम सिंह (नंदपुर) 77 श्री सुवा सिंह (गोविन्दपुर) 78 श्री दलवीर सिंह (हल्दुआ) 79 श्री सतनाम सिंह (साँवेपुर) 80 श्री सुखदेव सिंह (पिपलिया) 81 श्री गोविन्द भट्ट (गदरपुर) 82 श्री लक्ष्मण सिंह जीना (भजपुरी) 83 श्री अनिल कुमार पाल 84 श्री अमित कुमार चौहान 85 श्री विजेन्द्र सिंह (बाजावाला) 86 श्री अरविन्द्र कुमार (धरमपुर) 87 श्री विक्रम सिंह (सेजनी) 88 श्री वीरेन्द्र सिंह (विजराहा) 89 श्री त्रिलोक सिंह (पूरनापुर) 90 श्री अशोकसिंह (नौसर) 91 श्री लवजीत सिंह (कनपुरा) 92 श्री प्रताप सिंह (दाटूवाला) 93 श्री राकेश कुमार नेगी (फजलपुर) 94 श्री अमरीश पाल (लोहरी) 95 श्री गोविन्द सिंह (सरपूडा) 96 श्री शेरचन्द्र (मजरसुली) 97 श्री गजराज सिंह (ढकिया) 98 श्री उमेश चन्दोला (नगला) 99 श्री प्यार लाल (हरिपुरा) 100 श्री धमेन्द्र कुमार यादव (बाजपुर दोराहा) 101 श्री देशराज (अब्दुल्ला नगर) 102 श्री महेन्द्र सिंह (गूलरमोज) 103 श्री वीरेन्द्र पाल (सेमलपुरा) 104 श्री राममोहन (मजरगाोटिया) 105. श्री सुखविन्द सिंह (अजन्निया) 106. श्री कैलाश सिंह (चतर सिंह) 107. श्री दिनेश कुमार (मडेया) 108. श्री पूरन लाल (अजीतपुर) 109 श्री सत्यपाल सिंह (अमरडंडा) 110. प्रवीण (बण्डिया) 111. रमेश चन्द्र (मडामुधिया रतनपुर) 112. इन्द्रजीत सिंह (दोहरी) 113. खीश सिंह राणा (वानूसू) 114. अमित सिंह (बिगराबाग) 115. जगतार सिंह (मुडियाकला) 116. गिरीश चन्द्र (अजनिया) 117. जय सिंह (खरमाला, प्रतापपुर) 118. अमरजीत सिंह (यादवफार्म) 119. किशन सिंह (बुडाबाग) 120. भुवनचन्द्र सती (कुक्रेते) 121. अरविन्द्र सिंह (सड्डुया किच्छा) 122. गणेश लोहनी (नगला बाईपास) 123. सोनाफार्म 124. महेश (रघुसा एगोटेक) 125. रामप्रसाद (हसनपुर) 126.श्री महिपाल सिंह (सन्धासियावाला) 127. श्री पूरन चन्द्र कमबोज (रामनगर) 128. श्री धीरेन्द्र कुमार (मुरलीवाला) 129. श्री कश्मीर चन्द्र 130. श्री कुलदीप सिंह (एचलाविट्टी) 131. श्री प्रीतम सिंह राणा (बसईचौक) 132. श्री तरुण सिंघल (तीरथनगर डाम परतरामपुर) 133. श्री भूपेन्द्र सिंह (खालीपार पट्टी)</p>
<p>नैनीताल (NT-501 से)</p>	<p>1. दुर्गा राम 2. उम्मेद सिंह बिष्ट (सुन्दरखाल) 3. अनिल पाण्डे 4. यशवन्त सिंह 5. संतोष कुमार 6. शंकर सिंह बोरा 7. बलवन्त सिंह रावत 8. सुरेश सिंह बिष्ट 9. प्रकाश चन्द्र 10. त्रिलोक सिंह नेगी 11. अमित महारा 12. डा. ब्रह्मदत्त 13. भगवत सिंह बिष्ट 14. कृपाल सिंह 15. चन्दन सिंह 16. आन सिंह मेवाडी 17. तारादत्त 18. मोहन सिंह 19. नरेश चन्द्र 20. श्री कुन्दन सिंह (पिपलपोखरा) 21. श्री पृथ्वीपाल सिंह रावत (यशवन्तनगर) 22. श्री छतर सिंह कन्याल (चकलुवा) 23. श्री नरेन्द्र सिंह (पवलगाड) 24. श्री गोपाल सिंह बिष्ट (रतनपुर) 25. श्री महेन्द्र सिंह (जंगलियागांव) 26. श्री गंगा सिंह (नयागांव कटान) 27. श्री पूरन सिंह बिष्ट (खनसू) 28. श्री विनोद कुमार जोशी (हिम्मतपुर) 29. श्री मनोज आर्या (पुरनपुर) 30 श्री उमेश चन्द्र (बिनकोट) 31. श्री पवन कुमार (ललितपुर) 32. श्री केवलानंद काण्डपाली 33. श्री मनोज कुमार तिवारी, 34 श्री कृष्ण चन्द्र पनेरू 35 श्री नरेश सिंह 36 श्री महेश चन्द्र जोशी 37 श्री गिरीश चन्द्र पाठक, 38 श्री जगदीश चन्द्र परगाई 39 श्रीमती परमजीत कौर (आवंलाकोट कोटाबाग) 40 श्री दीप चन्द्र लोशाली (जयपुर वीसा) 41 श्री जीवन चन्द्र सुयाल (सांगुणीगांव) 42 श्री विमल सिंह (शास्त्रीनगर) 43 श्री तुलसी दास (सकखनपुर) 44 श्री खीम सिंह बोरा (चौधरीगेट) 45 श्री नारायण सिंह गंगोला (च्यूरिगाड) 46 श्री भारत भूषण पाठक (यशवन्तनगर) 47 श्री यशवन्त सिंह महारा (गोबरा) 48 श्री मनोज कुमार दानी (बसगांव) 49 श्री सोबन सिंह (हरतोला) 50 श्री भवानी राम (खरदा) 51 श्री जीवन सिंह (सिमायल) 52 श्री प्रमोद कुमार (गोमतीगेर) 53 श्री महेश सिंह (गल्ला) 54 श्री दीवान सिंह (सतबूंगा) 55 श्री भूपेन्द्र सिंह बिष्ट (मोना) 56 श्री सुरेन्द्र कुमार (रामनगर) 57 श्री ओमप्रकाश (गुलजारपुर) 58 श्री मोहन चन्द्र गजोला (आवंलाकोट) 59 श्री कुन्दन सिंह न्याल (बरमधार) 60 श्री सुरेन्द्र सिंह न्याल (नाई) 61 श्री किशन सिंह (थलाडी) 62 श्री कुन्दन राम (मायारामपुर) 63 श्री महेन्द्र सिंह महारा (पाटकोट) 64 श्री जोगिन्द्र कुमार (कमोला) 65 श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा (टेडाचौरी) 66 श्री महेश चन्द्र थापा (दुबखड) 67 श्री मोहन चन्द्र (दरमोली) 68 श्री सुन्दर सिंह मेहता (शान्तिनगर) 69. श्री अनूप कुमार (लालदांग) 70. श्री रमेश चन्द्र पलडिया (पिनरो) 71. श्री परजीत सिंह (ढेला) 72. श्री शिवदत्त पाण्डे (हिम्मतपुर) 73. राजेश दरमवाल (उदयलालपुर) 74. राजेन्द्र गहवाल (खालाबाजार) 75. तपन सूत्रधर (तुषराड) 76. उमैद सिंह (लूगाड) 77. गोविन्द सिंह (जाडुबाग) 78. श्री मनोज जोशी (पहाडपानी चौक) 79. नीरज सिंह (पाटा) 81. दीप (कोकिलावन) 82. गोपाल (धूरा) 83.श्री मुकेश सिंह मेहता (काफली रामगड) 84. श्री मनोज (कोलकानी) 85. श्री नवल किशोर पजडिया (वानना पिनरो) 86. श्री कमलेश कुमार (बजेडीगांव) 87. श्री कुन्दन सिंह (पदमपुर देवलिया डेरी) 88. श्री गंगा सिंह (मेडरपानी)</p>
<p>अल्मोडा (AM-501 से)</p>	<p>1. मिलिंद्री डेयरी फार्म, रानीखेत 2. श्री जगदीश चन्द्र (चांच) 3. श्रीमती भवानी बिष्ट (जैली) 4. श्री पंकज कठैत (हाऊली) 5. श्री जीवन सिंह (मडोड) 6. श्री शिवेन्द्र सिंह (स्यालकोट) 7. श्री कमल सिंह (हऊली) 8. श्री तरुण प्रकाश शाही (वरी) 9. श्री विनय कुमार करगती (भतरोजखान) 10. श्री भुवन चन्द्र (तिमिला) 11. कुमारी गीता सजवाण (देघाट) 12. श्री गणेश जोशी (गगास) 13. श्री महेन्द्र सिंह (डोडाखाल) 14. श्री नरेन्द्र सिंह (मिरईमल्ली) 15. श्री मदन सिंह (गटोली) 16. श्री राजेन्द्र सिंह (सेराघाट) 17. श्री पंकज कुमार जोशी (थली) 18. श्री संतोष अधिकारी (सकुनी) 19. श्री राजेन्द्र सिंह (चौराखान) 20. श्री संजय सिंह राँतेला (कटघरिया) 21. श्री ज्ञान सिंह (असतोला) 22. श्री सुन्दर सिंह बिष्ट (सरना) 23. श्री सुनील जोशी (चिडियानाला) 24. श्री बृज मोहन जोशी (तल्ली मरई) 25. श्री गणेश दत्त बेलवाल (गुमटा) 26. दीप चन्द्र आर्य (चमडखान) 27. पूरन सिंह (नैनी) 28. श्रीमती दीपा पाण्डेय (मेल्टा) 29. श्रीमती हसी भंडारी (रावलखेरा) 30. ललित चन्द्र (गोल्डीना) 31. संजय कुमार खाती (बैलछिना) 32. मनोज सिंह (धनसारी) 33. श्री मुकेश उरती (चिन्तोली) 34. श्री राजेन्द्र प्रसाद (जमराडी) 35. श्री हीरा सिंह (गंगास पीपलताना) 36. श्री मनोज कुमार तिवारी (नकुरा गोविन्दपुर) 37. श्री कुन्दन सिंह (सदर सरनगा) 38. श्री कुबेर सिंह (चमडखान) 39.श्री पुष्कर गिरी (मणुली) 40. श्री गोविन्द सिंह (चलकोडीगड)</p>

पिथौरागढ़ (PR-501 से)	1. सुश्री सावित्री 2. कुमारी कमला देवी 3. ललित सिंह बृथवाल (बला) 4. गोविन्द सिंह मेहता (क्वीटी) 5. हरगोविन्द पाठक (संगोड़) 6. श्री राजेन्द्र बल्लम जोशी (बडाबे) 7. श्री मनीष चन्द्र देउबा (बीसाबजेड) 8. श्रीमती नीना देवी (लमडुंगरी) 9. श्रीमती रेनुका सैन (झौलाखेत) 10. श्री भूपेन्द्र सिंह (देवराडी पत) 11. श्री गोकुल सिंह बिष्ट (मणकनाली) 12. श्री देवेन्द्र कुमार (तपोवन) 13. भगवान चन्द्र पाण्डे (मिताडीगांव) 14. अनिल गिरी (कैलकडवा, भुवनेश्वर) 15. राजेन्द्र सिंह (चाक) 16. संजय सिंह (डूनी) 17. होशियार सिंह (मडलनाली) 18. मनोहर सिंह धामी (गोर्वसा) 19. भगवान सिंह (भराडी) 20. श्री हिम्मत सिंह (गोवत्सा) 21. श्री पंकज सिंह बोहरा 22. श्री विकास सिंह विष्ट 23. श्री अमित सिंह सैन 24. श्री मोहन राम (लेखधारी) 25. श्री ईश्वर सिंह (मडेगांव) 26. श्री ललित सिंह (सुवालेख) 27. श्री अर्जुन प्रसाद (टिगास) 28. श्री रवीन्द्र राम (मढखडायत) 29. श्री मनोज कुमार (कहियानी) 30. श्री राजेन्द्र सिंह (मडमानले) 31. श्री भूपाल सिंह कार्की (धारापानी) 32. श्री दीपक सिंह बनकोटी (बडगेरी)
चम्पावत (CP-501 से)	1. दीपक जोशी 2. गोविन्दी मेहता (बिचई) 3. राजेश चन्द्रा (पुनावे) 4. मनीष कुमार पाण्डेय (बमनपुरी) 5. सुरेश चन्द्र जोशी (फुलारागांव) 6. निर्मल थवाल (पछपखरिया) 7. जीवनचन्द्र (सैन्दर्क) 8. श्री भुवन सिंह (पोखरी) 9. श्री नारायण दत्त जोशी (नरियालगांव) 10. श्री भैरव दत्त (गंगनौला) 11. श्री प्रकाश सिंह बिष्ट (चांदमारी) 12. श्री मुकेश चन्द्र भट्ट (लथौली) 13. श्री रमेश चन्द्र जोशी (मौराडी) 14. श्री देवेन्द्र सिंह (चन्दनी) 15. श्री रमेश चन्द्र राय (सैलानीगोट) 16. श्री भगवान सिंह (पेन्टरफार्म) 17. श्री सतीश सिंह बिष्ट (देवीपुरा) 18. श्री दीपक चन्द्र (सुई) 19. श्री ज्योति पाल (दियालोली) 20. श्री महेन्द्र सिंह (गुदमी) 21. श्री पवन कुमार पाण्डे 22. श्री हयात राम 23. श्री पुष्कर दत्त भट्ट (मझगांव)
बागेश्वर (BG-501 से)	1. श्री प्रकाश चन्द्र सिंह (डुंगरी) 2. श्री जीवन सिंह कर्णपाल (विजयपुर) 3. श्री प्रदीप चन्द्र जनोटी (पालडीछीना) 4. श्री लक्ष्मणसिंह (मिलकोट) 5. श्री दिनेश चन्द्र जोशी (छटिया) 6. श्री शेर सिंह परिहार (कमेडी) 7. श्री राजेश कुमार (सबजीसेरा) 8. श्री राम सिंह (शामा) 9. श्री जसपाल सिंह बिष्ट (सिरकोट) 10. श्री बसन्त बल्लम पाण्डेय (पन्द्रहवाली) 11. श्री दिनेश सिंह गदिया (नान) 12. श्री दिल बहादुर सिंह (बांसपटान) 13. गोपाल दत्त (जोशीगांव) 14. विनोद कुमार (छेना) 15. कुन्दन सिंह (तलई) 16. चन्दन (पिंगली) 17. बलवन्त (कापडी) 18. श्री भगत सिंह मेहरा (सिलारी भट्काली) 19. श्री केलाश चन्द्र (पासतोली) 20. श्री महेन्द्र मेहरा (नौहारस्टेट)

दुग्ध संघों द्वारा संचालित कृत्रिम गर्भाधान समितियां

क्र.सं.	कोड नम्बर	कृत्रिम गर्भाधान समिति का नाम
1	अल्मोड़ा (AM - 401 से)	1. विल्लेख
2	ऊधमसिंह नगर (US- 401 से)	1. अंगदपुर 2. जगतपुर पट्टी 3. गढीनेगी 4. टीला 5. बघेलेवाला 6. बंसखेड़ा 7. रामनगरवन 8. धनौरीपट्टी 9. ब्रह्मनगर 10. कुण्डेश्वरी 11. जवाहरनगर प्रथम 12. शान्तिनगर -2 13. खुरियाखत्ता 14. शान्तिपुरी -3 15. गांधीनगर 16. बखपुर 17. बसगर 18. कीरतपुर 19. बागवाला 20. धरमपुर 21. टांजिटकैम्प 22. हरिपुरा नं०-5 23. आर्यनगर 24. कूल्हा 25. मदनापुर 26. कौंधारत्न 27. उलाहनी 28. सुभाषनगर 29. पन्तपुरा 30. बरहैनी 31. जवाहरनगर द्वितीय 32. गांधीनगर (महिला) 33. उमरपुर 34. बांसखेड़ा।
3	नैनीताल (NT - 401 से)	1. भवानीपुर 2. धनखोला 3. देवरामपुर 4. शास्त्रीनगर 5. सकुलिया 6. कसियालेख 7. बेलपोखड़ा 8. शास्त्रीनगर

बायफ उत्तराखण्ड के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

क्र.सं.	जनपद	केन्द्र का नाम
1.	अल्मोड़ा (AM-201से)	1. देवलीखेत 2. द्वारसों 3. विश्वनाथ 4. जलना 5. भतरोजखान 6. सोमेश्वर 7. कनालीछीना 8. जालली 9. दनिया 10. स्यालदेह 11. कोसी 12. गनाई
2.	बागेश्वर (BG-201से)	1. बागेश्वर 2. भराडी 3. गरुडगागरी 4. कांडा 5. कमेडीदेवी 6. कठपुडियाछिना 7. भिकोट 8. खादलेख 9. जखेड़ा 10. किराली 11. रिमा
3.	चम्पावत (CP-201से)	1. बाराकोट 2. चम्पावत 3. पाटी देवीधूरा 4. च्यूरनी 5. धरौंज 6. मोरियानी 7. भिंगराड़ा 8. मोरनी 9. भिंगराना
	(CP-291से)	1. पुलहिन्डोला 2. बनबसा 3. अमोडी 4. खेतीखान 5. लोहाघाट।
4.	नैनीताल (NT-201से)	1. गरमपानी 2. हल्द्वानी 3. कालाढूंगी 4. आंवलाकोट 5. कठघरिया 6. जोगीपुरा 7. मेहरागांव 8. खॉसू 9. धानाचूली 10. मालधनचौड़ 11. कसियालेख 12. नथुवाखान 13. ओखलढूंगा 14. आमेल 15. बबियाड़ 16. दौलकोट
5.	ऊधमसिंह नगर (US-201से)	1. शिवपुरी 2. अलखदेवी 3. धरमपुर 4. धिमारखेड़ा 5. अछतबीहि 6. दराऊ 7. केवलगंज 8. कूल्हा 9. नगला (सितारगंज) 10. सरपुड़ा 11. गरूनानक नगरी 12. झरीगांव 13. नागलतराई 14. नौगबनथ 15. पुरनपुर 16. रायपुर 17. सूर्यनगर
6.	देहरादून (DN-201से)	1. भानियावाला 2. सभावाला 3. होरावाला 4. कालसी 5. भोगपुर 6. लकवाड़ 7. झाझरा 8. रायपुर 9. छिदरवाला 10. पजेठीलानी 11. कंवासी 12. त्यूणी 13. द्वारा 14. हरवर्तपुर 15. डोईवाला 16. श्यामपुर

7.	हरिद्वार (HR-201से)	1. बहादुराबाद 2. बुग्गावाला 3. भगवानपुर 4. धनौरी 5. खानपुर 6. लाहोबली 7. लालढांग 8. लण्डोरा 9. नारसन 10. रायसी 11. सुभाषगढ 12. बसेड़ी 13. सरमौला 14. थिरपाक 15. माईथान 16. मुदौली 17. तपोवन 18. हरमनी 19. नैनीसैण
8.	रुद्रप्रयाग (RP-201से)	1. अगस्तमुनि 2. खांकरा 3. बासूकेदार 4. म्याली 5. फाटा ।
9.	पौड़ी (PG-201से)	1. डडुवादेवी 2. पावो 3. परसुन्डाखाल 4. सतपुली ।
10.	चमोली (CG-201से)	1. आदिबद्री 2. चमोली 3. देवाल 4. गैरसैण 5. घाट 6. जोशीमठ 7. लंगासू 8. पोखरी 9. पीपलकोटी 10. थराली 11. मण्डल 12. हापला 13.सरमोला 14. थिरपाक 15. मेठाणा 16. मुन्दोली 17. तपोवन 18. हरमनी 19. नैनीसैण 20. सितेल
11.	टिहरी (TG-201से)	1. हड़िया 2. जामुनीखाल 3. मजगांव
12.	उत्तरकाशी (UK-201से)	1. बूंगा 2. कन्डगांव 3. पीपली 4. सिंगोट 5. सारीगाड़

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

पशुधन भवन, द्वितीय तल (बायीं विंग), मोथरोवाला रोड

पो.ओ.-मोथरोवाला, देहरादून 248001 फोन/फैक्स : 0135-2532619

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड के द्वारा / माध्यम से आवंटित सांडों का विवरण
जनपद : चमोली

क्र.स.	आवंटन की तिथि	प्रस्तावक विभाग	दारिन्दा (Custodian) का नाम व पता	विकासखण्ड	केन्द्र का कोड नम्बर	सांड की जाति	नस्ल	छल्ला नम्बर	आयु		सांड की मां का दुध प्रति ब्यांत (लीटर में)	क्रय मूल्य (रु.में)
									वर्ष	माह		
1	01-09-14	पशुपालन	श्री भगत सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह, आयु-42 ग्राम-अगरतला पो0-पीपलकोटी	दसोली	CG-2101	गाय सांड	JS	521	0	11	2685	12000
2	01-09-14	पशुपालन	श्री भगत सिंह श्री भगत सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह, आयु-42 ग्राम-अगरतला पो0-पीपलकोटी	दसोली	CG-2102	गाय सांड	JS	522	0	10	2070	12000
3	01-09-14	पशुपालन	श्री खीम सिंह भण्डारी पुत्र श्री रलम सिंह भण्डारी, आयु-46 ग्राम-नोरख, पो0 पीपलकोटी	दसोली	CG-2103	गाय सांड	JS	524	0	10	2160	12000
4	01-09-14	पशुपालन	श्री खीम सिंह भण्डारी पुत्र श्री रलम सिंह भण्डारी, आयु-46 ग्राम-नोरख, पो0 पीपलकोटी	दसोली	CG-2104	गाय सांड	JS	518	0	11	2720	12000
5	01-09-14	पशुपालन	श्री खीम सिंह भण्डारी पुत्र श्री रलम सिंह भण्डारी, आयु-46 ग्राम-नोरख, पो0 पीपलकोटी	दसोली	CG-2105	गाय सांड	JS	526	0	7	2550	12000
6	03-09-14	पशुपालन	श्री विशन सिंह, पुत्र श्री आषाड सिंह, आयु-40 ग्राम-सारकोट, पो0-भरारीसैण	गैरसैण	CG-2106	गाय सांड	JS	370	0	10	2078	12000
7	01-09-14	पशुपालन	श्री मदन सिंह, पुत्र श्री खन्तर सिंह, आयु-39 ग्राम पो0-सारकोट,	गैरसैण	CG-2107	गाय सांड	JS	371	1	5	2708	22000

8	24-09-14	पशुपालन	श्री प्रकाश सिंह भण्डारी, पुत्र श्री मगन सिंह, आयु-40 ग्राम व पो0-मालई	गैरसैण	CG-2108	गाय सांड	JS	485	4	6	2400	27000
9	17-10-14	पशुपालन	श्री केदारीलाल, पुत्र श्री वृदूलाल, आयु-43 ग्राम-किमोली,	नारायणबगड	CG-2109	गाय सांड	JS	357	2	5	36004	31000
10	31-12-14	पशुपालन	श्रीमति विजया देवी, ग्राम-डुंग्री आयु-42	नारायणबगड	CG-2110	गाय सांड	JS	355	3	0	2400	27000
11	18-01-15	पशुपालन	श्री लालसिंह, पुत्र श्री घिम सिंह, आयु-54 ग्राम-लगटाई, पो0-भरारीसैण	गैरसैण	CG-2111	गाय सांड	JS	480	6	0	2160	27000
12	-	पशुपालन	श्री चन्द्र सिंह, पुत्र स्व0 श्री नयन सिंह, वर्ष-52 ग्राम-प्योरा, पो0-गैरसैण	गैरसैण	CG-2112	गाय सांड	JS	354	2	3	2789	27000

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

पशुधन भवन, द्वितीय तल (बायीं विंग), मोथरोवाला रोड

पो.ओ.-मोथरोवाला, देहरादून 248001 फोन/फैक्स : 0135-2532619

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड के द्वारा / माध्यम से आवंटित सांडों का विवरण
जनपद : हरिद्वार

क्र.स	आवंटन की तिथि	प्रस्तावक विभाग	दारिन्दा (Custodian) का नाम व पता	विकास खण्ड	केन्द्र का कोड नम्बर	सांड की जाति	नस्ल	छल्ला नम्बर	आयु		सांड की मां का दुध प्रति ब्यांत (लीटर में)	क्रय मूल्य (रु.में)
									वर्ष	माह		
वर्ष 2014-15												
1	30-03-15	पशुपालन	श्री कृष्णायन, गौशाला गैडीखत्ता हरिद्वार		HR-2101	गाय सांड	सिन्धी	970/ 210	4	4		13000
2	30-03-15		श्री कृष्णायन, गौशाला गैडीखत्ता हरिद्वार		HR-2102	गाय सांड	सिन्धी	265/ 410	4	11		13000
3	30-03-15		श्री कृष्णायन, गौशाला गैडीखत्ता हरिद्वार		HR-2103	गाय सांड	सिन्धी	268/ 111	3	7		13000
4	30-03-15		श्री कृष्णायन, गौशाला गैडीखत्ता हरिद्वार		HR-2104	गाय सांड	सिन्धी	271/ 111	3	7		13000
5	30-03-15		श्री कृष्णायन, गौशाला गैडीखत्ता हरिद्वार		HR-2105	गाय सांड	सिन्धी	0027/ ULDB	3	2		13000
6	30-03-15		श्री कृष्णायन, गौशाला गैडीखत्ता हरिद्वार		HR-2106	गाय सांड	सिन्धी	994/ 111	3	8		13000
7	30-03-15		श्री कृष्णायन, गौशाला गैडीखत्ता हरिद्वार		HR-2107	गाय सांड	JXS	984/ 310	4	1		14000
8	30-03-15		श्री गायत्री अनाथालय गौशाला परिवहन न्यास कनखाल हरिद्वार		HR-2108	गाय सांड	JXS	996/111	3	9		14000
9	30-03-15		श्री गायत्री अनाथालय गौशाला परिवहन न्यास कनखाल हरिद्वार		HR-2109	गाय सांड	सिन्धी	0141/ ULDB	2	3		13000

उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड

पशुधन भवन, द्वितीय तल (बायीं विंग), मोथरोवाला रोड

पो.ओ.-मोथरोवाला, देहरादून 248001 फोन/फैक्स : 0135-2532619

उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड के द्वारा / माध्यम से आवंटित सांडों का विवरण

जनपद : देहरादून वर्ष 2014-15

क्र. स.	आवंटन की तिथि	प्रस्तावक विभाग	दारिन्दा (Custodian) का नाम व पता	विकास खण्ड	नामिनी का नाम	केन्द्र का कोड नम्बर	सांड की जाति	नस्ल	छल्ला नम्बर	आयु		सांड की मां का दुध प्रति ब्यांत (लीटर में)	क्रय मूल्य (रु.में)
										वर्ष	मा ह		
1	0	दुग्ध संघ	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री जियालाल, ग्राम-तिपरपुर		श्रीमती बाला देवी	DN-2301	गाय सांड	जर सिन्ध	1177	4	-	2109	9000
2	30-03-15		श्री इन्दर सिंह, 176/1 जाखन राजपुर रोड देहरादून			DN-2302	गाय सांड	सिन्ध	0080/ULDB	2	3		15000

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

पशुधन भवन, द्वितीय तल (बायीं विंग), मोथरोवाला रोड

पो.ओ.-मोथरोवाला, देहरादून 248001 फोन/फैक्स : 0135-2532619

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड के द्वारा / माध्यम से आवंटित सांडों का विवरण

जनपद : बागेश्वर वर्ष 2014-15

क्र.स.	आवंटन की तिथि	प्रस्तावक विभाग	दारिन्दा (Custodian) का नाम व पता	विकास खण्ड	केन्द्र का कोड नम्बर	सांड की जाति	नस्ल	छल्ला नम्बर	आयु		सांड की मां का दुध प्रति ब्यांत (लीटर में)	क्रय मूल्य (रु.में)
									वर्ष	माह		
1	21.03.15	पशुपालन	श्री जीवन सिंह रावत पुत्र श्री ठाकुर सिंह उम्र-45 वर्ष ग्राम-खातीगांव, पो.-खास	कान्डा	BG-2101	गाय सांड	JS	341	4	2	2700	27000

मैनुअल-13

रियायतों, अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण

14.1 जानकारी का प्रारूप *

- कार्यक्रम का नाम
- प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुने)
- उद्देश्य
- लक्ष्य (विगत वर्ष में)
- पात्रता
- पात्रता का आधार
- पूर्वापेक्षाएं
- प्राप्त करने की प्रक्रिया
- रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिए निर्धारित समय सीमा (अवधि)
- आवेदन शुल्क
- आवेदन पत्र का प्रारूप
- संलग्नकों की सूची
- संलग्नकों का प्रारूप
- प्राप्तिकर्ताओं की सूची का प्रारूप

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	प्राप्तिकर्ता का नाम	वैद्यता किस दिनांक तक है	पिता का नाम	निवास			
				जिला	शहर	मोहल्ला/गांव	मकान नं०

रियायत के लिए दी जाने वाली जानकारी :

- दिये जाने वाले लाभ का विवरण
 - लाभ के वितरण की प्रक्रिया
- * लागू नहीं ।

मैनुअल-14

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

15.1 लोक प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु प्रयोग किये जाने वाले मानक/नियमों का कार्यक्रमवार विवरण ।

नैसर्गिक अभिजनन हेतु सांड वितरण के मापदण्ड :

गाय सांडो हेतु मानक –

- नस्ल – जर्सी, जर्सी क्रॉस, एच.एफ., एच.एफ.क्रॉस, रेड सिन्धी
- स्वास्थ्य – उत्तम
- नर जननेद्रिय – विकसित

भैंसा सांड हेतु मानक :

- नस्ल – मुरा
- स्वास्थ्य – उत्तम
- नर जननेद्रिय – विकसित

तरल नत्रजन एवं अतिहिमीकृत वीर्य के वितरण का मापदण्ड :

- प्रत्येक माह में निश्चित अंतराल पर निरंतर ए.आई.केन्द्रों पर यू.एल.डी.बी. के वितरणकर्ता द्वारा मांग के अनुसार चालान द्वारा सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी को अतिहिमीकृत वीर्य, तरल नत्रजन, शीथ व स्टेशनरी आदि की आपूर्ति सुनिश्चित, जिसका विवरण यू.एल.डी.बी. द्वारा प्रदत्त पंजिकाओं में अंकित करना अनिवार्य ।
- प्रत्येक माह में अधिकतम 35 ली0 तक तरल नत्रजन की आपूर्ति एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/उपकेन्द्र हेतु निश्चित ।
- अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्रा की आपूर्ति न्यूनतम 80 की पैकिंग में ।

कृत्रिम गर्भाधान हेतु मापदण्ड :

- पशु के गर्मी में आने की सूचना प्राप्त होने पर पशुपालक के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान कार्य होगा । पशु को केन्द्र पर लाने की बाध्यता नहीं
- प्रत्येक राजकीय कृत्रिम गर्भाधान पर सेवा शुल्क ₹60.00 मात्र लेकर पशुपालक को रसीद देना अनिवार्य ।
- प्रत्येक कृत्रिम गर्भाधान हेतु एक ही स्ट्रा का प्रयोग निर्धारित । प्रत्येक अतिरिक्त स्ट्रा के उपयोग पर ₹60.00 मात्र का शुल्क जमा करना अनिवार्य । प्राप्त शुल्क को उसी दिन विभागीय कैश बुक में अंकित करना अनिवार्य ।
- निर्धारित किये गए लक्ष्यों के अनुसार कृत्रिम गर्भाधान कार्य किया जाना अपरिहार्य ।
- अधिकतम क्षतिग्रस्त स्ट्रा की सीमा वर्ष में कुल आपूर्ति का 3 प्रतिशत तक ही मान्य । अधिक क्षतिग्रस्त की स्थिति में प्रति स्ट्रा ₹60.00 मात्र का भुगतान अनिवार्य ।

मैनुअल-15
इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं

16.1 भाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित जानकारी का उल्लेख (जो इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में हो)

यू.एल.डी.बी. के सम्बन्ध में जानकारी हेतु बोर्ड की वेबसाईट एवं ई-मेल निम्नवत है :

वेबसाईट : www.uldb.org

ई-मेल : ceo_uldb@rediffmail.com

मैनुअल-16

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

17.1 सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग/संगठन द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण यथा –

- **पुस्तकालय**
यू.एल.डी.बी. मुख्यालय, देहरादून में उपलब्ध है ।
यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र, पशुलोक-ऋषिकेश में उपलब्ध है।
- **नाटक/नुक्कड**
लागू नहीं ।
- **समाचार पत्रों द्वारा**
समय-समय पर आवश्यकतानुसार ।
- **प्रदर्शनी**
समय-समय पर आवश्यकतानुसार ।
- **सूचना पटल**
सामान्य सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती रहती हैं।
- **अभिलेखों का निरीक्षण**
शासन के नियमानुसार ।
- **दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था**
शासन के नियमानुसार ।
- **उपलब्ध विभागीय मैनुअल**
लागू नहीं ।
- **लोक प्राधिकरण की वेबसाइट**
वेबसाइट : www.uldb.org
ई-मेल : ceo_uldb@rediffmail.com
- **अन्य प्रचार-प्रसार के साधन**
गोष्ठी, कैम्प, कार्यशाला सेमीनार आदि ।

मैनुअल-17
अन्य उपयोगी जानकारियां

18.1 लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर:

18.2 सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में

- आवेदन पत्र (संदर्भ के लिए एक भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति सहित) *
- शुल्क *
- सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह मांगी जाये (कुछ टिप्स) *
- सूचना न देने व अपील करने के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया *

18.3 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण

- प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व विवरण ।
संलग्न है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा।
संलग्न है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य
ग्रामीण पशुपालकों/दुग्ध उत्पादकों/लाभार्थियों सहित जनसामान्य को पशुपालन, डेयरी विकास एवं तत्सम्बन्धी अन्य/विविधि विषयों/तकनीकी के सम्बन्ध में जागरूक एवं शिक्षित करना ।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम के भौतिक व वित्तीय लक्ष्य (विगत वर्ष में)
संलग्न है।
- लाभार्थी की पात्रता
ग्रामीण पशुपालक/दुग्ध उत्पादक
- पूर्वापेक्षायें (यदि हों)
ग्रामीण क्षेत्र का निवासी एवं पशुपालक ।
- अनुदान /सहायता (यदि हो)
कुछ नहीं ।
- दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण
लागू नहीं ।
- अनुदान राशि सहित
लागू नहीं ।
- अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया
लागू नहीं ।
- आवेदन के लिए कहां/किससे संपर्क करें।
*जनपदीय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/जनपद प्रबन्धक, यू.एल.डी.बी. ।
मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी., देहरादून ।*
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)
कुछ नहीं ।
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो)
कोई नहीं ।

- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होना हो, तो अवगत करायें, कि आवेदक आवेदन करते समय किन बातों का उल्लेख करे।
कोई नहीं ।
- संलग्नकों की सूची
01
- संलग्नकों का प्रारूप
संलग्न है।
- आवेदन करने की प्रक्रिया
शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ।
- चयन प्रक्रिया
निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारणी (यदि हो)
प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यकतानुसार संस्थाओं की मांग एवं सुविधा अनुसार आयोजित होते हैं।
- प्रशिक्षण के समय/अवधि के बारे में आवेदन को सूचित करने का तरीका।
सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं को पत्र/फैक्स आदि द्वारा ।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले कार्य।
जनपदीय अधिकारियों के माध्यम से सूचना देकर तथा हैण्डबिल, पम्फलेट, लीफलेट और प्रशिक्षण पुस्तिकाओं आदि द्वारा ।
- विभिन्न स्तर यथा— जिला स्तर, ब्लाक स्तर आदि पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थियों की सूची तथा अन्य विवरण।
सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम यू.एल.डी.बी. के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र, पशुलोक—ऋषिकेश एवं पशु प्रजनन फार्म कालसी जनपद—देहरादून में आयोजित किये जाते हैं।

18.4 लोक प्राधिकरण द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि के सम्बन्ध में जो मैनुअल 13 में न सम्मिलित हों :

- प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि का नाम व विवरण *
- प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने हेतु पात्रता *
- आवेदन करने के लिए कहां/किससे संपर्क करें *
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) *
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो) *
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होना हो, तो अवगत करायें, कि आवेदक आवेदन करते समय किन बातों का उल्लेख करे। *
- संलग्नकों की सूची *
- संलग्नकों का प्रारूप *
- आवेदन करने की प्रक्रिया *
- आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां उस प्रक्रिया का विवरण दें, जो आवेदक द्वारा सारी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती है। *

- आवेदन की सारी औपचारिकताएं सही तरह से पूरी करने के पश्चात प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि जारी करने के लिए निर्धारित समयावधि *
 - प्रमाण पत्र के प्रभावी रहने की समय सीमा (यदि हो) *
 - नवीनीकरण की प्रक्रिया (यदि हो) *
- * लागू नहीं ।

18.5 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के सम्बन्ध में :

यू.एल.डी.बी. द्वारा राज्य के प्राइवेट ए.आई.कर्ताओं को पंजीकृत किया जाता है।

- पंजीयन का उद्देश्य
प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से ग्रामीण पशुओं (गाय एवं भैंस) की नस्ल का सुधार ।
- आवेदक की पात्रता
कृत्रिम गर्भाधान तकनीक में प्रशिक्षण ।
- पूर्वापेक्षायें (यदि हों)
यथासंभव उसी क्षेत्र में मोटर मार्ग पर निवास करता हो, जहां कृत्रिम गर्भाधान कार्य संपन्न करना है। उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो और कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण हो।
- आवेदन करने के लिए कहां/ किससे संपर्क करें
मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी., पशुधन भवन, द्वितीय तल (बांयी विंग), मोथरोवाला रोड, पो0 ऑ0 मोथरोवाला, देहरादून-248001
दूरभाष : 0135-2532619, 2532589
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)
₹100, यू.एल.डी.बी. देहरादून के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा।
- अन्य शुल्क (जहां उचित हो)
कुछ नहीं ।
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होना हो, तो अवगत करायें, कि आवेदक आवेदन करते समय किन बातों का उल्लेख करें।
संलग्न है।
- संलग्नों की सूची
01
- संलग्नों का प्रारूप
कोई नहीं ।
- आवेदन करने की प्रक्रिया
निर्धारित प्रारूपानुसार।
- आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां उस प्रक्रिया का विवरण दें, जो आवेदक द्वारा सारी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती है।
पंजीकरण करके अभिलिखित प्रमाण पत्र आवेदक को इस आशय हेतु कि भेजा जाता है/ उपलब्ध कराया जाता है कि वह तीन वर्ष तक समस्त कृत्रिम गर्भाधान से सम्बन्धित इनपुट्स (अतिहिमीकृत वीर्य, तरल नत्रजन, एवं ए.आई.सम्बन्धी अन्य विविधि उपकरण/ सामान यू.एल.डी.बी. से निर्धारित शुल्क अदा कर प्राप्त कर सकेगा।

- आवेदन की सारी औपचारिकताएं सही तरह से पूरी करने के पश्चात प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि जारी करने के लिए निर्धारित समयावधि
15 दिन
- प्रभावी रहने की समय सीमा (यदि हो)
तीन (03) वर्ष
- नवीनीकरण की प्रक्रिया (यदि हो)
नवीनीकरण का आवेदन प्राप्त होने पर 15 दिन के अन्दर निःशुल्क नवीनीकरण करके तत्सम्बन्धी सूचना पत्र आवेदक को भेज दिया जाता है।

18.6 लोक प्राधिकरण (Municipal Corporation, Trade Tax, Entertainment Tax etc.) द्वारा टैक्स लेने के सम्बन्ध में।

- टैक्स का नाम व विवरण *
- टैक्स लेने का उद्देश्य *
- टैक्स निर्धारण करने के लिए मापदण्ड व प्रक्रिया *
- बडे (डंरवत) बकायेदारों (Defaulters) की सूची *

* लागू नहीं ।

18.7 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली बिजली/पानी के कनेक्शन, कनेक्शन को अस्थायी/स्थायी रूप से विच्छेदन आदि के सम्बन्ध में सूचना (यह स्थानीय निकाय यथा- नगर पालिका/नगर परिषद/यू.पी.सी.एल. द्वारा दी जानी है)

- आवेदक की पात्रता *
- पूर्वापेक्षाएं (यदि हों) *
- आवेदन करने के लिए कहां/किससे संपर्क करें *
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) *
- अन्य शुल्क/देय (जहां उचित हो) *
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होना हो, तो अवगत कराये, कि आवेदक आवेदन करते समय किन बातों का उल्लेख करे *
- संलग्नकों की सूची *
- संलग्नकों का प्रारूप *
- आवेदन करने की प्रक्रिया *
- आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां उस प्रक्रिया का विवरण दें, जो आवेदक द्वारा सारी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती है *
- बिल में प्रयोग किये गए शब्दों का विवरण *
- बिल तथा अन्य सेवाओं के सम्बन्ध में समस्या होने की स्थिति में सम्पर्क सूचना *
- टैरिफ तथा अन्य देय *

* लागू नहीं ।

**18.8 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण ।
अन्य - कुछ नहीं ।**